सत्यमेव जयते

पंचदश बिहार विधान–सभा के पंचम, अष्टम, दशम एवं एकादश सत्र के अनागत तारांकित प्रश्नोत्तरों की कुल सं० 106 (एक सौ छः) ।

विषय–सूची

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	2	3	4
	पंचम सत्र		
1	श्रीमती गुलजार देवी	धाम–2, धाम–7	1
2	श्री जनक सिंह	धाम–11	1–2
3	श्रीमती लेशी सिंह	धाम–13	2
4	श्री राम सुरत राय	धाम–5	2
5	श्री संजय सरावगी	धाम–8, धाम–9	3
6	श्री सतीश चन्द्र दूबे	धाम–10	3–4
7	श्री संजय सिंह टाईगर	सह–14	4
8	श्री संतोष कुमार	धाम–12	4–5
9	श्री संजय कुमार	फ–36	5
	अष्टम सत्र		
1	श्रीमती सुनीता सिंह	सह–26	5
2	श्रीमती आशा देवी	फ–67	5
3	श्री अरूण शंकर प्रसाद	फ–26, फ–69, फ–70	6–7
4	श्री अवनीश कुमार सिंह	फ–1, फ–2	7–8
5	श्री अरूण कुमार सिन्हा	फ–20, रा–74	8–9
6	श्री (डॉ0) अरूण कुमार	फ–25	9–10
7	श्री (डॉ0) अच्युतानन्द	फ–37	10
8	मो0 अखारूल इसलाम शाहीन	फ–92*	10

1	2	3	4
9	श्री अभिराम शर्मा	फ–77	11
10	श्री अवधेश कुमार राय	ता–49	11
11	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	फ–14	11–12
12	श्री बैद्यनाथ सहनी	फ–94	12
13	श्री बृज किशोर सिंह	फ–76	12–13
14	श्री विरेन्द्र सिंह	ता–10	13
15	श्री (डॉ0) दाउद अली	फ–42, फ–43	13–14
16	श्री गिरिधारी यादव	फ–3	14
17	श्री हरिनारायण सिंह	फ–99	14
18	डॉ0 इजहार अहमद	ट–32	14–15
19	श्री जितेन्द्र कुमार	फ–93	15
20	श्री जितेन्द्र कुमार राय	फ–98	15–16
21	श्री जनक सिंह	फ–71, फ–72, फ–73	16–17
22	श्री जय कुमार सिंह	ट–12	17
23	श्री कुमार शैलेन्द्र	ता–15, ता–16, फ–46, फ–48 फ–86	17–19
24	श्री कन्हैया कुमार	फ–40	19–20
25	श्री कौशल यादव	फ–78	20
26	श्री कृष्णनन्दन यादव	फ–82	20
27	श्री कृष्णनन्दन पासवान	ट–50	21
28	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	फ–44, फ–45, फ–61	21–22
29	श्रीमती मंजू हजारी	फ–9	22
30	श्रीमती मंजू देवी	फ–27	22
31	श्री नीरज कुमार सिंह	फ–50	22–23
32	श्रीमती पूनम देवी यादव	ता–12	23
33	श्री प्रदीप कुमार	फ–28	23
34	श्री राम लखन राम "रमण"	फ–12, फ–60	23–24
35	श्री राम बालक सिंह	फ–19	24
36	श्री रामेश्वर साव	फ–106	24–25
37	श्री रमेश ऋषिदेव	फ–107	25
38	श्री रामदेव महतो	फ–109, फ–110	25–26
39	श्री रामायण मांझी	फ–103	26
40	श्री रण विजय कुमार	फ–84	26–27
41	श्री राम प्रवेश राय	ट–52	27
42	श्री शिवजी राय	फ–79	27–28
43	श्री संजय सिंह टाईगर	फ–97	28
44	श्री सुरेश चंचल	फ–80, फ–111	28–29
45	श्री संजय कुमार	ख–14	29

1	2	3	4
46	श्रीमती सुनीला सिंह	खा–25	29
47	श्री सुबोध राय	रा–11	30
48	श्री श्याम देव पासवान	रा–77	30
49	श्री श्रवण कुमार	फ–31	30–31
50	श्री संतोष कुमार	फ–105	31
51	श्रीमती (प्रो0) उषा सिन्हा	फ–34, फ–64	31
52	डॉ0 उषा विद्यार्थी	रा–31	32
53	श्री वैद्यनाथ सहनी	रा–13, फ–15	32
54	श्री विनोद प्रसाद यादव	फ–18	33
55	श्रीमती वीणा देवी	फ–83, फ–85	33
56	श्री विजय कुमार सिन्हा	ट–51, फा–75	33–34
57	श्री विनय बिहारी	रा–8	34
	दशम सत्र		
1	श्री दुर्गा प्रसाद सिंह	रा–4	34–35
2	श्री गिरिधारी यादव	रा–9, रा–10	35–36
3	डॉ0 इजहार अहमद	रा–8	36
4	श्री कुमार शैलेन्द्र	रा–1, रा–5	36
5	श्री मंजीत कुमार सिंह	रा–11, रा–13	37
6	श्री रामदेव महतो	सह–1	37–38
7	श्री राज कुमार राय	रा–15	38
8	श्री राम प्रवेश राय	रा–3	38–39
9	श्री राम नरेश प्रसाद यादव	पन–4	39–40
10	श्री सुरेश चंचल	ट–10	40
11	श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह	सह–3	40–41
12	श्री तारकिशोर प्रसाद	रा–7	41
13	श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी	रा–14	41–42
	एकादश सत्र		
1	डॉ0 अच्युतानन्द	ट–3	42–43
2	श्री विनय बिहारी	रा–11	43

मंदिर का जीर्णोद्धार

ग्राम–2. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड स्थित राम जानकी मंदिर, परसा एवं छजना के पास 10 बीघा एवं 20 बीघा जमीन है, जिसमें परसा गाँव श्री बालेश्वर यादव, किगुर मण्डल एवं छजना गाँव के लालदेव मण्डल एवं श्री शिव कुमार मण्डल द्वारा कब्जा कर लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मंदिर को विकसित करने के लिये उक्त दोनों मंदिरों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार दुल्हिन मंदिर, शेरघाटी एवं रूकमणि नाथ मंदिर, शेरघाटी के परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड के ग्राम–परसा एवं छजना गाँव में राम जानकी मंदिर है परन्तु वह बिहार राज्य धार्मिक परिषद् के अधीन निबंधित नहीं है। इस संबंध में अंचलाधिकारी, घोघरडीहा से न्यास के संबंध में छानबीन कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध पूर्व में परिषद् द्वारा किया गया है परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा किसी न्यास के निबंधन के पूर्व प्रथम दृष्टया यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि न्यास का स्वरूप सार्वजनिक है। परिषद् के पास कोई ऐसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे उक्त मंदिरों के लिये न्यास परिषद् गठित किया जा सके।

परिषद् द्वारा पुनः अंचलाधिकारी, घोघरडीहा से उक्त दोनों मंदिरों के संबंध में पूरी छानबीन कर वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन भेजने हेतु कार्रवाई की जा रही है। उनसे एक महीने के भीतर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर परिषद् अपने स्तर से अधिकारी भेजकर जाँच करायेगी।

(2) उपर्युक्त खण्ड के आलोक में जाँचोपरांत सार्वजनिक न्यास पाये जाने पर परिषद् द्वारा विधिपूर्वक न्यास को निबंधित कर इसके सम्यक् विकास तथा अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(3) लीज रद्दीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है लेकिन इसमें समय लगने की संभावना है। धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों एवं अवैध पट्टा लेने वाले के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी तथा मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना अतिशीघ्र बनाकर उसे मूर्त रूप देने की चेष्टा की जायेगी।

सौन्दर्यीकरण एवं विकास

ग्राम–7. श्रीमती गुलजारी देवी—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड एवं फुलपरास प्रखंड स्थित नागेश्वर स्थान (हुलास पट्टी) एवं नरसिंह नाथ भगवान बैका काफी प्राचीन मंदिर है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नागेश्वर स्थान एवं नरसिंह नाथ भगवान बैका को सौन्दर्यीकरण कर विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखण्ड एवं फुलपरास प्रखण्ड स्थित नागेश्वर स्थान (हुलास पट्टी) एवं नरसिंह नाथ भगवान बैका बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के अधीन निबंधित नहीं है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, घोघरडीहा से एवं फुलपरास से बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्रतिवेदन की माँग की जा रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

स्थल को विकसित करना

ग्राम–11. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के ग्राम–सढ़वाडारनपुरा में एक प्राचीन शिव मंदिर एवं धार्मिक स्थल है, जहाँ प्रत्येक वर्ष फागुन महीने में एक साप्ताहिक बड़ा मेला लगता है एवं दूर–दूर से लोग आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल को विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखण्ड के ग्राम–सढ़वाड़ाचहपुरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा इस संबंध में अंचलाधिकारी, इसुआपुर को जाँचकर वस्तुस्थिति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन भेजने को कहा जा रहा है।

अंचलाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

कब्जा मुक्त कराना

धाम–13. श्रीमती लेशी सिंह—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखण्ड अधीन अम्भारी गाँव में महंत मगनी दास ठाकुरबाड़ी के 70 एकड़ जमीन तथा परिसम्पत्ति पर अवैध ढंग से अम्भारी गाँव के ग्रामीणों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ठाकुरबाड़ी को अवैध कब्जा से मुक्त कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखण्ड के अम्भारी गाँव स्थित महंत मगनी दास ठाकुरबाड़ी के संबंध में तत्काल बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा अंचलाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ से इस ठाकुरबाड़ी के बारे में पूरी छानबीन कर वर्तमान वस्तुस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन भेजने हेतु कहा जा रहा है ।

(2) अंचलाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

सुविधा मुहैया कराना

धाम–3. श्री राम सुरत राय—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखण्ड स्थित भैरव स्थान एवं कटरा प्रखण्ड के चामुण्डा स्थान, मोद मंदिर और शक्तिपीठ, कटेश्वरी में प्रतिदिन भारत–नेपाल सीमा से हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा–अर्चना हेतु आते रहते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं को पेयजल, धर्मशाला, सड़क आदि की व्यवस्था नहीं रहने से काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों के श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखण्ड स्थित भैरव स्थान एवं कटरा प्रखण्ड के चामुण्डा स्थान पर्षद् में निबंधित न्यास है। इन मंदिरों में सामान्यतः स्थानीय लोग दैनिक पूजा–अर्चना के लिये आते हैं। अवसर विशेष पर दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होती है।

मोद मंदिर एवं शक्ति पीठ कटेश्वरी के संबंध में तत्काल बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् में निबंधित नहीं है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

(2) मंदिर में आने वाले भक्तों एवं दर्शनार्थियों की सुविधा का ख्याल न्यास समिति द्वारा रखा जाता है। उक्त धार्मिक स्थल में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

(3) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से स्पष्ट है कि औराई प्रखण्ड स्थित भैरव स्थान एवं कटरा प्रखण्ड के चामुण्डा स्थान भक्तों एवं दर्शनार्थियों को न्यास समिति द्वारा सुविधा प्रदान की जा रही है।

सम्पत्ति का बचाव

धाम–8. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित दरभंगा शहर के राम चौक में अवस्थित बाबा धर्मशाला एवं उसमें अवस्थित श्री हनुमान मंदिर की भूमि एवं उसकी सम्पत्ति के देख–रेख बिना वहाँ की जमीन अतिक्रमित हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त धर्मशाला एवं मंदिर की सम्पत्ति एवं भूमि एवं प्राप्त आय का भी कोई लेखा–जोखा नहीं रखा जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की भूमि एवं सम्पत्ति को बचाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) न्यास समिति के सचिव श्री सत्यनारायण सरावगी द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 1999 को वर्ष 1995–96 से वर्ष 1998–99 तक का आय–व्यय विवरणी दाखिल किया गया था। इसके बाद के वर्षों का लेखा–जोखा नहीं प्राप्त हुआ है। न्यास की आय की दुरुपयोग की शिकायत मिली है, जिसके लिये बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के पत्रांक 2072, दिनांक 5 मार्च, 2012 द्वारा न्यास की वर्तमान वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन सहित न्यास के सुचारू संचालन एवं सम्यक विकास हेतु न्यास समिति के गठन के लिये अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन की माँग की गई है।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पर्षद् द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

कार्रवाई करना

धाम–9. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला स्थित दरभंगा शहर के मोहल्ला आजम नगर के निकट श्री राम जानकी मंदिर की भूमि तथा सम्पत्ति की देख–रेख बिना वहाँ के लोगों द्वारा अतिक्रमित हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मंदिर की भूमि एवं सम्पत्ति को बचाने के लिये कौन–सी कार्रवाई कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) दरभंगा जिला स्थित दरभंगा शहर के मोहल्ला आजमगढ़ के निकट राम जानकी मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् के अधीन निबंधित न्यास है, जिसके सचिव श्री कृष्ण कुमार मिश्र थे। उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के कारण पर्षद् के पत्रांक 2021, दिनांक 23 फरवरी, 2010 द्वारा उनको सचिव के पद से अपसारित करते हुये श्री पवन कुमार मिश्र को सचिव नियुक्त किया गया।

पर्षद् के उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कृष्ण कुमार मिश्र के द्वारा व्यवहार न्यायालय, पटना में एक विविध वाद संख्या 126/2010 दायर किया गया है, जिसमें स्थगन आदेश पारित किया गया, जो दिनांक 27 मई, 2011 तक प्रभावी रहा। विविध वाद अभी लम्बित है।

(2) अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर से न्यास की वर्तमान वस्तुस्थिति के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, पटना द्वारा प्रतिवेदन की माँग की जा रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी।

सौन्दर्यीकरण एवं विकास

धाम–10. श्री सतीश चन्द्र दूबे—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के नरकटियागंज प्रखण्ड के बनवरिया पंचायत में वर्षों पुराना बनवरिया मंदिर धाम है जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटकों का आगमन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर धाम शहर से काफी दूर अवस्थित है जिससे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आने–जाने एवं ठहरने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर धाम का सौन्दर्यीकरण एवं विकास करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज प्रखण्ड के बनवरिया पंचायत स्थित बनवरिया मंदिर धाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) इस संबंध में अंचलाधिकारी, नरकटियागंज को जाँचकर वस्तुस्थिति के संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा प्रतिवेदन की माँग की जा रही है।

(3) अंचलाधिकारी, नरकटियागंज से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

धान क्रय करना

राह–14. श्री संजय सिंह टाईगर—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिले में धान खरीददारी का लक्ष्य सरकार ने एक लाख ग्यारह हजार टन निर्धारित किया है, जबकि 12 फरवरी तक 35 हजार टन धान की ही खरीददारी हो पायी है एवं किसानों का धान क्रय के अभाव में वैसे ही पड़ा हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार किसानों को उचित मूल्य मिल सके, इस हेतु आरगर कदम उठाते हुये किसानों का धान क्रय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। भोजपुर जिलान्तर्गत दिनांक 12 फरवरी, 2012 तक एवं अद्यतन तिथि तक धान अधिप्राप्ति से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार से है :— (मात्रा मे0 टन में)

दिनांक 12 फरवरी, 2012 तक की स्थिति		दिनांक 11 मार्च, 2012 तक की स्थिति	
FCI	1099.00	FCI	1471.00
BSFC	4235.67	BSFC	10,932.54
PACS	30537.45	PACS	62,042.80
कुल– 35872.12		कुल–74,446.34	

इस तरह भोजपुर जिला में धान की अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 11 मार्च, 2012 तक 67.07 प्रतिशत की गई है।

(2) धान अधिप्राप्ति की अवधि 30 अप्रैल, 2012 तक निर्धारित है। उक्त अवधि तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान क्रय हेतु जिला प्रशासन प्रयासरत है। विभाग द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है।

मंदिर विकसित करना

धाम–12. श्री संतोष कुमार—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखण्ड स्थित लखनौर ग्राम के दक्षिण बाबा सोमनाथ महादेव का मंदिर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महादेव की मंदिर की विशेषता यह है कि वहाँ शिवलिंग छः महीना अर्थात् वैशाख से आश्विन मास तक पानी में डूबा रहता है तथा कार्तिक से चैत्र महीना तक सूखा रहता है, दूर–दराज एवं देश–विदेश से लोग अपनी मनोकामना पूरा करने की मिन्नती माँगने आते हैं, लेकिन अभीतक उक्त मंदिर को विकसित नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुये पर्यटकों को रहने हेतु मंदिर को विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) मधुबनी जिलान्तर्गत लखनौर प्रखण्ड स्थित लखनौर ग्राम के दक्षिण बाबा सोमनाथ

महादेव मंदिर, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(2) बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् के अधीन निबंधित नहीं रहने के कारण इस मंदिर की विशिष्टता एवं स्थिति के संबंध में तत्काल कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् द्वारा अंचलाधिकारी, लखनौर से जाँचकर वस्तुस्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भेजने हेतु कहा जा रहा है।

(3) अंचलाधिकारी, लखनौर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

पानी टंकी चालू कराना

फ-36. श्री संजय कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकड़ प्रखण्ड मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में एक पानी टंकी का निर्माण किया गया है, लेकिन उसे अभीतक चालू नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राजापाकड़ मुख्यालय में नवनिर्मित पानी टंकी को कबतक चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक । वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकड़ प्रखण्ड मुख्यालय में वर्ष 2010–11 में नाबार्ड योजना से पानी टंकी का निर्माण किया गया है, जिसका कार्य पूर्ण है। एक–दो घंटा बिजली मिलती है उसमें 330 से अधिक भोल्टेज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण नियमित परिचालन नहीं हो रहा है। भोल्टेज के सुधार हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत् को लिखा गया है।

(2) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। विद्युत् भोल्टेज की उपलब्धता हेतु उच्चाधिकारियों को सूचना दी गयी है।

भवन पूर्ण कराना

सह–26. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के बेलसण्ड प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत डुमरा, नवादा में अनाज प्रशोधन केन्द्र का भवन दो वर्षों से अर्द्धनिर्मित अवस्था में रहने के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अर्द्धनिर्मित भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) एवं (2) यह योजना सहकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। सहकारिता विभाग से संबंधित नहीं रहने के कारण इस योजना को सहकारिता विभाग से पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं है।

जलापूर्ति करना

फ–67. श्रीमती आशा देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत नगर परिषद्, दानापुर निजामत के दाउदपुर मुहल्ले में अवस्थित जलमीनार का उपयोग जलापूर्ति हेतु विगत पाँच–छः वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण नगर परिषद् के छः वार्ड (1 से 6 तक) का जलापूर्ति बन्द है ;

(2) यदि खण्ड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार को ठीक कराने एवं जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विद्युत् की उपलब्धता के अनुसार वार्ड नं० 1 से 6 तक जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति की जाती है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

चापाकल लगाना

क–26. **श्री अरूण शंकर प्रसाद**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड मे वर्ष 2009–10 मे एन0सी0पी0सी0 योजना के तहत 100 चापाकल निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थल चयन कर सूची भी बनाई गयी, परन्तु चापाकल निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक चयनित सूची के आधार पर चापाकल गड़वाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009–10 मे अनाच्छादित / आंशिक आच्छादित बसावटों मे चापाकल निर्माण योजना के अंतर्गत खजौली प्रखंड मे 103 अदद चापाकलों के निर्माण का लक्ष्य था।

(2) लक्ष्य के अनुसार चापाकल निर्माण का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पदस्थापन कराना

क–69. **श्री अरूण शंकर प्रसाद**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मधुबनी मे सहायक अभियंता के कुल 4 सृजित पदों के विरूद्ध 2, 10 कनीय अभियंता के विरूद्ध 3, 4 लेखा लिपिक के विरूद्ध 2 तथा 21 वर्क सरकार के स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 3 कार्यरत है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मधुबनी प्रमंडल में रिक्त पदों पर अभियंताओं एवं कर्मियों को पदस्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत सहायक अभियंता के 4 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 2 सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के 10 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 3 कनीय अभियंता कार्यरत हैं।

वरीय लेखा लिपिक के 2 तथा 3 कनीय लेखा लिपिक के स्वीकृत कुल 5 पदों के विरूद्ध क्रमशः 2 वरीय लेखा लिपिक एवं 1 कनीय लेखा लिपिक यानी कुल 3 कार्यरत है। वर्क सरकार के पद नियमित स्थापना अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

(2) सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है।

विभाग में सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं की वर्तमान में कमी के कारण स्वीकृत पदों के विरूद्ध अभियंताओं का पदस्थापन करने में कठिनाई है। लेखा लिपिक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों को भरने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश अधीक्षण अभियंता, दरभंगा एवं कार्यपालक अभियंता, मधुबनी को दिया जा रहा है।

पेयजल की व्यवस्था

क–70. **श्री अरूण शंकर प्रसाद**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि एक करोड़ की लागत से मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत में ग्रामीण जलापूर्ति योजना विगत तीन वर्ष पूर्व सम्पन्न कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा बासोपट्टी मुख्य सड़क के पश्चिम तरफ नाला

निर्माण के क्रम में जलापूर्ति के लिये बिछाये गये मुख्य पाइप लाइन को 500 मीटर से अधिक की लम्बाई में क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे एक करोड़ से अधिक की योजना बर्बाद हो गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पाइप लाइन क्षतिग्रस्त और बेकार होने से पूरे बासोपट्टी बाजार के पश्चिम हिस्से में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पेयजल का वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत की बासोपट्टी पश्चिमी पाइप ग्रामीण जलापूर्ति योजना की प्राक्कलित राशि रु० 100.96 लाख है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पथ निर्माण विभाग द्वारा बासोपट्टी मुख्य सड़क के पश्चिम भाग में नाला निर्माण के क्रम में करीब 150 मीटर की दूरी तक पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।

(3) पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण इस योजना से लगभग 35 प्रतिशत भाग में जलापूर्ति बाधित है। शेष 65 प्रतिशत भाग में जलापूर्ति की जा रही है।

(4) बासोपट्टी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना के पश्चिमी भाग में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का प्राक्कलन 1.3964 लाख का तैयार कर पथ निर्माण विभाग को भेजा गया है। विषय की महत्ता को देखते हुये उक्त योजना को क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मती कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, मधुबनी को दिया जा रहा है, ताकि बासोपट्टी बाजार के पश्चिमी हिस्से को भी पेय जलापूर्ति हो सके।

पेयजल उपलब्ध कराना

फ–1. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल हेतु राज्य को वर्ष 2008–09 में 39956, 2009–10 में 40506, 2010–11 में 18749 एवं 2011–12 में 15810 का लक्ष्य दिया गया जिसके विरुद्ध क्रमशः 2008–09 में 25765, 2009–10 में 26622, 2010–11 में 14221 एवं 2011–12 में 1259 की ही प्राप्ति हो सकी, यदि हाँ, तो लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ने के कौन–से कारण हैं और कबतक सरकार लक्ष्य प्राप्त कर लेगी ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 में 39956, 2009–10 में 40508, 2010–11 में 18749 एवं 2011–12 में 15810 टोलों के आच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 2008–09 में 28937, 2009–10 में 26622, 2010–11 में 14221 एवं 2011–12 में 11243 टोलों का आच्छादन किया गया।

वर्ष 2007 में चापाकलों के निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव के कारण वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में चापाकलों के निर्माण प्रगति धीमी रही तथा गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु योजना की प्रगति भी धीमी रही, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण टोलों के आच्छादन हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिये स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन ससमय नहीं होने के कारण टोलों के आच्छादन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका।

सभी गैर–गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को आगामी दो वर्षों में आच्छादित करने एवं सभी गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में आच्छादित करने का लक्ष्य है।

जल का संरक्षण

फ–2. श्री अवनीश कुमार सिंह—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सालाना भू–गर्भ जल उपलब्धता 27.92 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी०सी०एम०) है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल संरक्षण के लिये राज्य से योजनाएँ प्राप्त होने पर सेन्ट्रल ग्राउंड

वाटर ऑथोरिटी राज्यों को राशि आवंटित करती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रदेश द्वारा सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर ऑथोरिटी को वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक कोई योजना नहीं भेजी गई जिसके कारण एक पैसे की राशि प्राप्त नहीं हुई तथा 2011–12 में भी मात्र 67.21 लाख की योजना भेजी गई जिसके विरुद्ध 67.21 लाख रुपये प्राप्त हुये ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो व्यापक रूप से जल संरक्षण के लिये सरकार कौन–सी कदम उठाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुतः राज्य में कुल वार्षिक भू–जल उपलब्धता दिनांक 31 मार्च, 2004 के भू–गर्भ जल सर्वेक्षण के आधार पर 27.42 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी०सी०एम०) तथा दिनांक 31 मार्च, 2009 के भू–गर्भ जल सर्वेक्षण के आधार पर 26.21 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी०सी०एम०) आकलित की गई है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2009 को भू–जल संरक्षण योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) केन्द्रीय भू–जल बोर्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के पत्रांक 118, दिनांक 27 अप्रैल, 2011 द्वारा कुल 11 अदद भू–जल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 96.01 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध 67.21 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई।

(4) लघु जल संसाधन विभाग भू–जल संरक्षण हेतु सतत् प्रयत्नशील है। राज्य योजना मद में उपलब्ध राशि से वित्तीय वर्ष 2011–12 में 2 अदद एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 में 5 अदद रेन वाटर हारवेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

जलापूर्ति करना

फ–20. श्री अरुण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के नब्बे प्रतिशत आँगनबाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो इन केन्द्रों पर शुद्ध पेय जलापूर्ति हेतु कारगर उपाय अबतक नहीं करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—आई०सी०डी०एस० निदेशालय, समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार 80, 211 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से ग्रामीण क्षेत्रों के मात्र 16,418 आँगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में संचालित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में चापाकल निर्माण (प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र एक चापाकल) की योजनायें स्वीकृत की गई है। वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः 9374 एवं 7044 यानी कुल 16418 चापाकलों के निर्माण की स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध माह जनवरी, 2013 तक कुल 8931 चापाकलों का निर्माण किया गया है। माह जून, 2013 तक अवशेष चापाकल निर्माण कराने का लक्ष्य है।

कार्य का आवंटन

रा–74. श्री अरुण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया, नालंदा, सारण, मुंगेर, भागलपुर एवं शेखपुरा जिला के राजस्व / सर्वे मानचित्रों के 7.00 करोड़ रुपये राज्य उद्व्यय से 100 प्रतिशत शुद्ध डिजिटाईज्ड मानचित्र के आधार पर एजेंसी का चयन किया गया था ;

(2) क्या यह बात भी सही है कि अगस्त, 2012 में यथा ऊपर वर्णित एवं अन्य 10 जिलों डिजिटाईजेशन के लिये निदेशक, भू–अभिलेख, बिहार द्वारा पूर्व निविदा की शर्तों को हटाकर एवं 5 प्रतिशत त्रुटि की छूट देते हुये माईक्रोनेट सौलूसन, नागपुर, इन्फोटेक इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद एवं आई०एल० एण्ड एफ०एस०, दिल्ली को स्वीकृत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन स्वीकृत एजेंसियों का कार्यादेश रद्द करते हुये अप्रैल, 2010 में प्रकाशित निविदा के आलोक में 100 प्रतिशत शुद्ध नमूना प्रस्तुत करने वाले एजेंसी को कार्य आवंटित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है। माह अप्रैल, 2010 में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, अररिया, नालंदा, सारण, मुंगेर, भागलपुर एवं शेखपुरा जिला के राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन कार्य हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था। चूँकि यह मूल्य आधारित निविदा नहीं थी इसलिये यह कहना कि निविदा की लागत 7.00 करोड़ रुपये थी सही नहीं है।

उक्त निविदा के आलोक में प्राप्त दर को विचारोपरांत मितव्ययिता के सिद्धांत, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दर से अधिक होने एवं अन्य राज्यों में समान कार्य हेतु स्वीकृत न्यूनतम दर से अत्यधिक होने तथा उसका तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया एवं किसी एजेंसी का नाम से कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया। अतएव यह कहना कि एजेंसी का चयन कर लिया गया था सही नहीं है।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। माह अप्रैल, 2010 में प्रकाशित निविदा द्वारा प्राप्त दर को क्रय समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण योजना के हित में पुनः वित्तीय वर्ष 2012 में निविदा प्रकाशित की गयी।

प्रकाशित निविदा के तकनीकी भाग के प्रारंभिक चरण में डिजिटाईज्ड मानचित्रों की शुद्धता की जाँच के लिये चार प्रकार की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुये यह स्पष्ट किया गया था कि प्रारंभिक जाँच के क्रम में नमूने के तौर पर प्राप्त डिजिटाईज्ड मानचित्रों में पाँच प्रतिशत से अधिक त्रुटि पाये जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निविदा सूचना में यह शर्त स्पष्ट रूप से अंकित है कि अंतिम रूप से चयनित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटाईज्ड मानचित्र मूल मानचित्र से 100 प्रतिशत समानता रखते हों। प्रारंभिक चरण में नमूने के तौर पर प्राप्त डिजिटाईज्ड मानचित्रों की गुणवत्ता की जाँच तीन सदस्यीय तकनीकी कमिटी के द्वारा की गयी जिसमें सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रिमोन्ट सेंसिंग, पटना तथा सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग के अधिकारी शामिल थे। एजेंसियों को कार्य का आवंटन निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप द्वारा नहीं किया गया है बल्कि तीन सदस्यीय तकनीकी समिति से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा योग्य एजेंसियों को कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

(3) एजेंसियों का चयन उनकी तकनीकी दक्षता की जाँच के आधार पर करते हुये कार्यादेश निर्गत किया गया है। साथ ही एकरारनामा में यह प्रावधान रखा गया है कि एजेंसियों से प्राप्त डिजिटाईज्ड मानचित्र 100 प्रतिशत शुद्ध होने पर ही उन्हें स्वीकार किया जायेगा तथा सहायक निदेशक एवं उप-निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग भी अपने स्तर से रैण्डम चेकिंग कर 100 प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करायेंगे।

वर्ष 2010 की निविदा प्रक्रिया में शामिल एजेंसी स्वयं अपनी इच्छा से वर्ष 2012 में स्वीकृत दर पर कार्य कर रही है। वर्णित परिस्थिति में वर्ष 2012 के स्वीकृत दर पर शत-प्रतिशत शुद्धता के साथ कार्य करने वाली एजेंसियों के कार्यादेश को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्मशान का निर्माण

फ-25. श्री (डॉ०) अरुण कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के किसी भी प्रखंड में श्मशान घाट नहीं है, जिसके कारण आम लोगों को दाह-संस्कार करने में काफी कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रत्येक प्रखंड में एक-एक श्मशान घाट निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सभी प्रखंड में श्मशान घाट का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में श्मशान घाट के विकास एवं आधुनिकीकरण की योजना 'मुक्तिधाम योजना' के नाम से स्वीकृत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में कुल 50 स्थानों पर श्मशान घाटों का विकास एवं आधुनिकीकरण किया जाना था। सहरसा नगर परिषद् क्षेत्र में एक स्थान पर इसका निर्माण किया जाना था, जो पूर्ण हो चुका है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जल उपलब्ध कराना

फ–37. श्री (डॉ0) अच्युतानन्द—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के महनार प्रखंड अंतर्गत महनार बाजार से हसनपुर तक गंगा नदी के किनारे का जल आर्सेनिकयुक्त है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में महनार के हसनपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर महनार प्रखंड की जनता को आर्सेनिकयुक्त स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) जल जाँच प्रतिवेदनों के आधार पर वैशाली जिला के महनार प्रखंड के संबंधित क्षेत्र के भू–गर्भीय जल स्रोतों में आर्सेनिक नहीं पाया गया है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति पाइप लगाना

फ–92. मो0 अख्तारूल इसलाम शाहीन—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत आई0टी0आई0 गेट नं0 93 के पास जलापूर्ति हेतु नई बोरिंग एवं पाइप लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 2010 से चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गेट नं0 97 बाँस कोठी से अयोध्या साव के घर तक वर्ष 1995 से पाइप लाइन बिछा हुआ है जिससे जलापूर्ति की जा रही है परन्तु अधिक आबादी होने के कारण सुचारू तरीके से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गेट नं0 97 बाँस कोठी से अनिल पासवान के घर से जंगलीपीर मजार तक जलापूर्ति हेतु नई पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। गेट नं0 97 बाँस कोठी मुख्य सड़क से अयोध्या साव के घर तक पुरानी पाइप लाइन से जलापूर्ति की जा रही है। पुनर्गठन योजना अन्तर्गत नया पाइप लाइन बिछाया जा चुका है। वर्तमान में योजना निर्माणाधीन है, जिसके कारण नया पाइप लाइन से जलापूर्ति नहीं की जा रही है।

(3) गेट नं0 97 बाँस कोठी मुख्य सड़क से श्री अनिल पासवान के घर होते हुये नया सामुदायिक भवन तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा चुका है।

सामुदायिक भवन से जंगलीपीर मजार तक पाइप लाइन स्वीकृत योजना के प्राक्कलन में प्रावधान नहीं रहने के कारण नहीं बिछाया जा सका है।

जलापूर्ति योजना शुरू करना

फ–77. **श्री अभिराम शर्मा**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से नवम्बर, 2010 में जहानाबाद एवं रतनी प्रखंड में 25 मिनी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद एवं रतनी प्रखंड में अबतक एक भी मिनी जलापूर्ति योजना प्रारंभ नहीं हो सकी है, जिसके कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वीकृत मिनी जलापूर्ति योजना को प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जहानाबाद एवं रतनी प्रखंड के लिये 18 मिनी पाइप जलापूर्ति योजना स्वीकृत है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद एवं रतनी प्रखंड में 11 मिनी जलापूर्ति योजनाओं पर कार्य प्रगति में है जिसमें 6 अदद विद्युत संयोजन प्राप्त होने पर चालू की जा सकेगी। विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु कारवाई की जा रही है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

वासगीत पर्चा देना

रा–49. **श्री अवधेश कुमार राय**—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के गढ़पुरा प्रखण्ड के कौरेय पंचायत में राहुल नगर में रामपुर महन्थ की अधिशेष भूमि पर कुल 16 एकड़ में 300 दलित, महादलित परिवार पिछले 20 वर्ष से बसे हुये हैं, परन्तु अभीतक उन्हें वासगीत का पर्चा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भूमिहीनों को कबतक वासगीत पर्चा देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अंचल अधिकारी, गढ़पुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गढ़पुरा प्रखण्ड के कौरेय पंचायत के सुजानपुर मौजे के राहुल नगर में रामपुर महंथ भरत दास के अधिशेष घोषित जमीन पर कुछ दलित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लोग मकानमय सहन के रूप में बसे हैं। तत्कालीन महंथ भरत दास की उक्त भूमि जिला गजट दिनांक 31 मार्च, 2001 द्वारा अधिशेष घोषित हुआ है। इसके पूर्व भी अधिसूचना संख्या 04, दिनांक 27 मार्च, 1990 एवं अधिसूचना सं0 02, दिनांक 8 जनवरी, 1992 द्वारा भी उक्त भूमि अधिशेष घोषित की गयी थी परन्तु मूल अभिलेख तत्काल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अधिसूचना आदि के समय अंचल गढ़पुरा अस्तित्व में नहीं था। गढ़पुरा अंचल वर्ष 2003 में अस्तित्व में आया। मूल अभिलेख खोजने के लिये समय की आवश्यकता जताई है।

उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या 04, दिनांक 27 मार्च, 1990 द्वारा अधिशेष घोषित भूमि का बंदोबस्ती पट्टा भी उस समय निर्गत किया गया था। पुनः बाद की अधिसूचनाओं में घोषित अधिशेष भूमि का भी बंदोबस्ती पट्टा निर्गत किया गया था, परन्तु प्रतीत होता है कि विभिन्न न्यायालयों में दायर वाद के कारण पट्टाधारियों को दखल–कब्जा नहीं दिलाया जा सका। स्थानीय जाँच से ज्ञात हुआ है कि पट्टाधारी से भिन्न व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि पर वास एवं खेती के रूप में कब्जा कर लिया गया है। वास्तविक दखलकार एवं दखल के विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। इसके लिये तीन माह के समय की माँग की गयी है।

जलापूर्ति कराना

फ–14. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड अंतर्गत बाकन में तथा सुन्दरगंज में जलमीनार एवं जल वितरण के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जलमीनार से नियमित जलापूर्ति प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारुन प्रखंड के बारुण ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

सुन्दरगंज पाइप जलापूर्ति योजना की जलमीनार एवं जल वितरण प्रणाली का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु 'लो भोल्टेज' के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है। विद्युत दोष दूर कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

टंकी का निर्माण

क–94. श्री बैद्यनाथ सहनी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर एवं पटोरी प्रखंड में पानी टंकी का निर्माण कराने संबंधित प्राक्कलन विभाग में वर्ष 2010 से लंबित है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित प्रखंडों में प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पानी टंकी का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत ताजपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति पुनर्गठन योजना का प्राक्कलन क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें जलमीनार का प्रावधान है।

परन्तु समस्तीपुर जिला के आर्सेनिक प्रभावित पटोरी प्रखंड में पेयजल की व्यवस्था हेतु बहुग्रामीय पाइप जलापूर्ति योजना तैयार की गई है जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अतः पटोरी के लिये अलग से पाइप जलापूर्ति योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पानी टंकी चालू कराना

क–76. श्री बृजकिशोर सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में दो, बरूराज में दो एवं कथैया में एक पानी टंकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इसमें से मोतीपुर का केवल एक पानी टंकी चालू है अन्य सभी चार पानी टंकी 5 वर्षों से बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बंद पड़े पानी टंकी को चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

- मोतीपुर नगर पंचायत क्षेत्र में एक पाइप जलापूर्ति योजना है जिसके अंतर्गत दो जलमीनार है, जिसमें एक मोतीपुर बाजार में 50 हजार गैलन क्षमता के जलमीनार से जलापूर्ति की जा रही है। दूसरी जलमीनार जो पुनैदा पोखर में अवस्थित है, से जलापूर्ति विगत पाँच वर्षों से पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बाधित है ।

- बरूराज में दो पाइप जलापूर्ति योजना है। बरूराज पूर्वी एवं बरूराज पश्चिमी आंशिक रूप से चालू अवस्था में है। मोतीपुर–देवरीया रोड में बरूराज मध्य विद्यालय के पास पुल निर्माण के क्रम में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण कुछ भागों में जलापूर्ति बाधित है। बरूराज पश्चिमी पाइप लाइन जलापूर्ति योजना 50 हजार गैलन क्षमता के साथ निर्मित है, परन्तु तीन फेज विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति बाधित है।

- कथैया जलापूर्ति योजना से वर्तमान में सीधी जलापूर्ति (बिना पानी टंकी के) चालू है।

उक्त वर्णित दोषों को ठीक कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जा रहा है।

(2) उपरोक्त वर्णित चार जलापूर्ति योजना मोतीपुर नगर पंचायत आंशिक रूप से चालू अवस्था में है। बरूराज पूर्वी ग्रामीण जलापूर्ति योजना आंशिक रूप से चालू अवस्था में है। बरूराज पश्चिमी ग्रामीण जलापूर्ति योजना विद्युत् तंत्र तीनों फेज अप्राप्त रहने के कारण वर्तमान में जलापूर्ति योजना बाधित है। कथैया पाइप लाइन जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है।

वर्णित दोषों को निराकरण कराकर बंद पड़े जलापूर्ति योजनाओं को चालू करा दिया जायेगा।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

नक्शा उपलब्ध कराना

ग–10. श्री बीरेन्द्र सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के मानपुर एवं बजीरगंज प्रखंड के सभी ग्रामों का नक्शा अनुपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नक्शा नहीं रहने के कारण जमीन की नापी में परेशानी होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मानपुर एवं बजीरगंज प्रखंडों में सभी ग्रामों का नक्शा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।

(3) निदेशालय के पत्रांक 359, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के द्वारा मानपुर एवं बजीरगंज प्रखंड के अनुपलब्ध मानचित्र की सूची उप–निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को भेजने का सूचना समाहर्ता, गया को दिया जा चुका है, जो उन्हें मुद्रित कर आपूर्ति करेंगे।

जलमीनार का निर्माण

फ–42. डॉ० दाउद अली—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव प्रखण्ड के डुमराँव थाना के पास एवं छट्टीया पोखर के पास जलमीनार नहीं रहने से पूरे डुमराँव में जल संकट बना हुआ है ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थल पर अगले वित्तीय वर्ष में जलमीनार निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) डुमराँव शहरी जलापूर्ति योजना में 1,00,000 गैलेन क्षमता की जलमीनार निर्मित है, जिसका Sluice Valve खराब रहने के कारण जलमीनार से जलापूर्ति बाधित है परन्तु सीधी जलापूर्ति की जा रही है।

(2) शहरी क्षेत्र में नई पाइप जलापूर्ति योजना नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत की जानी है।

पाइप लाइन लगाना

फ–43. डॉ० दाउद अली—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत डुमराँव प्रखंड के भोजपुर, कदीम में सप्लाई पाइप लाइन कार्य पूरा नहीं होने के कारण पेयजल संकट गहरा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्थान पर सप्लाई पाइप लाइन कार्य पूरा कराने हेतु माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य विभाग ने गै०स०प्रे०पत्रांक 78(का०), दिनांक 2 फरवरी, 2012 द्वारा मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

प्रक्षेत्र, पटना को कार्रवाई हेतु भेजा है, परन्तु 6 फरवरी, 2013 तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भोजपुर, करौन में सप्लाई पाइप लाइन कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है योजना में स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण है।

(2) जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन नहीं बिछाया जा सका है, उसके लिये अलग से प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

पेयजल आपूर्ति कराना

क–3. श्री गिरिधारी यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को 70 लीटर पानी रोजाना उपलब्ध कराने हेतु पेयजल नीति वर्ष 2010 में स्वीकृत की गयी थी, परन्तु इस दिशा में आजतक कोई काम नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पेयजल नीति का कार्यान्वयन कबतक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता नीति का प्रारूप पूर्व में तैयार किया गया था। इस प्रारूप पर सभी संबंधितों के साथ बैठक कर प्रतिक्रिया एवं उनके मंतव्य प्राप्त कर इसे अंतिम रूप देने की कार्रवाई की जायेगी।

पानी टंकी का निर्माण

क–99. श्री हरिनारायण सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत प्रखंड के ग्राम पंचायत तेलमर के ग्राम–तेलमर की जनसंख्या लगभग 7–8 हजार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 7–8 हजार जनसंख्या वाले गाँव में पेयजल सुविधा मुहैया कराने हेतु पानी टंकी का निर्माण कराने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार ग्राम–तेलमर में पेयजल पानी टंकी निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हरनौत प्रखंड के ग्राम–तेलमर की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 6,437 है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला के तेलमर ग्राम में पेय जलापूर्ति हेतु पूर्व में निर्मित योजना काफी पुरानी हो जाने के कारण पुनर्गठन योजना की स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जायेगा।

परीक्षण केन्द्र खोलना

ट–32. डॉ० इजहार अहमद—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल कार्यालय के बगल में कृषि विभाग की लगभग 100 एकड़ जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिरौल अनुमंडल में किसानों के लिये बीज परीक्षण केन्द्र नहीं है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक बिरौल अनुमंडल में बीज परीक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अंशतः स्वीकारात्मक है। दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अनुमंडल कार्यालय के बगल में कृषि विभाग की राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र, हाटी हेतु 9.5 हेक्टेयर (23.47 एकड़) भूमि है।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) क्षेत्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दरभंगा सहित राज्य में सात अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। बिरौल अनुमंडल के कृषकों से प्राप्त बीज नमूनों की जाँच दरभंगा अवस्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य एकतीस जिलों में जिलास्तरीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ अधिष्ठापित की जा रही है।

अनुमंडल स्तर पर बीज परीक्षण प्रयोगशाला के अधिष्ठापन का प्रस्ताव तत्काल नहीं है।

जलापूर्ति करना

क–95. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावाँ विधान–सभा क्षेत्र के बिन्द प्रखंड मुख्यालय, सरमेरा प्रखंड मुख्यालय, कतरीसराय प्रखंड मुख्यालय में वर्ष 2007 में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना की स्वीकृति मिली थी, जिसे वर्ष 2008–09 में तैयार कर जलापूर्ति करना था, परन्तु आजतक ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस कार्य में विलंब करने वाले संबंधित सम्वेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये कबतक आम जनता को जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिन्द, सरमेरा एवं कतरीसराय मुख्यालय में जलापूर्ति योजना की स्वीकृति क्रमशः वर्ष 2007–08, 2009–10 एवं 2002–03 में हुई थी। स्वीकृत्यादेश के अनुसार सभी योजनाओं को दो वर्षों के अंदर पूरा किया जाना था।

- बिन्द ग्रामीण जलापूर्ति योजना से संबंधित लगभग सभी कार्य (500 मीटर वितरण प्रणाली को छोड़कर) पूर्ण है। वर्तमान में जलमीनार से जलापूर्ति की जा रही है। शेष बचे कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जायेंगे।
- सरमेरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लगभग सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सिर्फ 3" सी0आई0 पाइप आंशिक रूप से बिछाना शेष है। संबंधित संवेदक का असामयिक निधन होने के कारण योजना पूर्ण नहीं हो सकी है। अवशेष कार्यों शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया जा रहा है।
- कतरीसराय ग्रामीण जलापूर्ति योजना का सभी कार्य वर्ष 2005–06 तक पूर्ण किया गया था। उक्त योजना से संबंधित विद्युत आपूर्ति का तार 8 पोल का चोरी होने के कारण लगभग 5–6 वर्षों से जलापूर्ति बाधित था। अक्टूबर, 2012 में पुनः विद्युत प्राप्त होते ही उक्त योजना से जलापूर्ति चालू किया गया। परन्तु जलापूर्ति बहुत दिनों से बंद रहने के कारण वितरण प्रणाली जाम हो गयी है एवं लीकेज आदि भी हो रहा है, जिसे ठीक कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में जलमीनार के माध्यम से आंशिक क्षेत्र में जलापूर्ति की जा रही है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति करना

क–98. श्री जितेन्द्र कुमार राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिले के मढ़ौरा और नगरा प्रखंडों में ग्रामीण जलापूर्ति की सुविधा नहीं है, जिससे नागरिकों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मढ़ौरा और नगरा प्रखंडों में ग्रामीण जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करने हेतु कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वर्णित प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में चापाकलों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत 2275 एवं नगरा प्रखंड अंतर्गत 1171 चापाकल कार्यरत है, जिनसे

पेय जलापूर्ति की व्यवस्था उक्त प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है। इसके अलावा मढ़ौरा प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा नगरा प्रखंड अंतर्गत नगरा (कादीपुर) ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पानी टंकी का निर्माण

क–71. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत इसुआपुर प्रखंड के छपीया गाँव में दो वर्ष पूर्व पानी टंकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसे अभीतक पूर्ण नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छपीया में पानी टंकी का निर्माण कार्य कबतक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि छपीया पुनर्गठन ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत लगभग 25 प्रतिशत कार्य शेष है। कार्यपालक अभियंता, छपरा को निदेशित किया जा रहा है कि अवशेष कार्य को जुलाई, 2013 तक पूर्ण करावें। यदि संवेदक उक्त समय के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करते हैं तो उनके साथ सम्पन्न एकरारनामा रद्द कर जमानत की राशि राज्यसात् करें तथा उनको काली सूची में डालने का प्रस्ताव विभाग को भेजें।

(2) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति करना

क–72. श्री जनक सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के धनौती, रसौली, उच्च विद्यालय कोंध–भगवानपुर, वसहीया, चकिया, सतजोड़ा, बेलौर एवं बगडीहा तथा मोरिया गाँवों में शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलापूर्ति की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत पानापुर प्रखंड के प्रश्नाधीन ग्रामों में पेय जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु चापाकलों की स्थिति निम्नवत है :—

ग्राम	आबादी 2001 के अनुसार	कुल चापाकल
धनौती	4095	42
रसौली	12569	91
उच्च विद्यालय, कोंध, भगवानपुर		2
बसहियाँ	1907	36
चकिया	2778	29
सतजोड़ा	6036	40
बगडीहा	950	7
बेलौर	1968	14
मोरिया	2042	28

उपरोक्त वर्णित ग्रामों में निर्धारित माप–दण्ड के अनुसार पेयजल की व्यवस्था हेतु पर्याप्त चापाकल है।

जलापूर्ति कराना

क्र–73. **श्री जनक सिंह**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के उच्च विद्यालय, परौना, डेवढ़ी, नेपाल सिंह उच्च विद्यालय, गवन्दी, पंचभिण्डा, शीतलपुर, चैनपुर पोखरेड़ा, बैसिक स्कूल, नारायणपुर पोखड़ा, सरैयावसंत गाँवों में शुद्ध जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलापूर्ति कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड के प्रश्नाधीन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था चापाकलों के माध्यम से की गई है जो निम्नवत है :—

ग्राम	आबादी 2001 के अनुसार	कुल चापाकल
पंचभिण्डा	6496	53
चैनपुर	4076	30
पोखरेड़ा	2735	44
सरैया बसंत	3038	25
डेवढ़ी	3752	35
शीतलपुर	1765	13

उपरोक्त वर्णित ग्रामों में निर्धारित माप–दण्ड के अनुसार चापाकल गाड़े जा चुके हैं।

कोल्ड स्टोरेज चालू करना

ट–12. **श्री जय कुमार सिंह**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी स्थित अन्न भंडारण (शैलो) से सटा कोल्ड स्टोरेज बाजार समिति द्वारा संचालित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि यह 2003–04 के बाद से ही बन्द है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कोल्ड स्टोरेज को चालू कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित), पटना सिटी ने अपने पत्रांक 40, दिनांक 20 फरवरी, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि वर्ष 2010 से कोल्ड स्टोरेज बंद है। वर्ष 2011–12 में समाचार–पत्र के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर पुनः 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के लिये श्री राम बचन राय लीजधारी के साथ लीज की बन्दोबस्ती की गई। प्रथम वर्ष की राशि 21 (इक्कीस) लाख रुपये उनके द्वारा जमा किया गया, परन्तु उनके द्वारा शीतगृह में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। वर्ष 2012–13 की राशि भी अबतक उनके द्वारा जमा नहीं की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय में यह अंकित करते हुये वाद दायर किया गया कि कोल्ड स्टोरेज खराब है, अतः उनकी लीज की राशि वापस किया जाये। वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज संचालित नहीं है। प्रासंगिक वाद में प्रतिशपथ–पत्र दायर किये जाने संबंधी सूचना दी गयी है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अधीन विचाराधीन है।

प्रतिनियुक्त करना

रा–95. **श्री कुमार शैलेन्द्र**—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड में विगत आठ महीने से अंचलाधिकारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खरीक प्रखण्ड में अंचलाधिकारी नहीं रहने के वजह से सरकार को राजस्व की क्षति एवं किसानों को जमीन संबंधी कार्य कराने में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खरीक अंचल में अंचलाधिकारी प्रतिनियुक्त करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि श्री उपेन्द्र प्रसाद रजक, तत्कालीन अंचल अधिकारी, खरीक दिनांक 31 जुलाई, 2012 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अंचल रिक्त है। कार्य हित में स्थानीय व्यवस्था के तहत अंचल अधिकारी, बिहपुर को खरीक अंचल का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

खरीक अंचल में अंचल अधिकारी के पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

रसीद उपलब्ध कराना

रा–16. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर, बिहपुर एवं खरीक प्रखंड के अंचल में लगान वसूली रसीद पिछले आठ महीने से नहीं हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचल में लगान वसूली रसीद नहीं रहने के वजह से सरकार को राजस्व का घाटा एवं किसान सरकारी लाभ लेने से वंचित रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रसीद उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गुलजारबाग प्रेस द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3,100 लगान रसीद बही भागलपुर जिला को उपलब्ध कराई गई है, जिसे अंचलों को आपूर्ति कर दी गई है। लगान वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

(2) आंशिक अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध तीव्र गति से की जा रही है।

(3) राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में अधियाचित जिलों को लगान रसीद बही की आपूर्ति लगातार की जा रही है।

शवदाह गृह का निर्माण

पा–46. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक अनुमंडल में एक विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण करने हेतु वर्ष 2009 में निर्णय लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल में विद्युत् ताप शवदाह गृह नहीं बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में विद्युत् ताप शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। इस तरह की योजना स्वीकृत नहीं है।

(2) खण्ड (1) में वर्णित स्थिति के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

शौचालय का निर्माण

क–49. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखण्ड के खरीक बाजार के उर्दू चौक, गोल चौक और कटैला में सार्वजनिक शौचालय नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त तीनों जगहों पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। भागलपुर जिला में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान) अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय के मूल परियोजना प्रस्ताव (plp) के अन्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य के विरुद्ध शत्–प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव (Revised plp) तैयार किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त नये स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण मार्ग–दर्शिका के प्रावधानों के आलोक में कराया जा सकेगा।

जल मुहैया करना

क–50. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के खरीक बाजार, तेलघी, लोकमानपुर, भवनपुरा, ढेढिया–दादपुर की आबादी दस हजार से अधिक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत में जलमीनार नहीं रहने के कारण आम लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में जलमीनार बनाकर शुद्ध जल मुहैया कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि इन ग्रामों की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न है :—

खरीक बाजार	2587
तेलघी	7824
लोकमानपुर	3763
भवनपुरा	3240
ढोढीया	252
दादपुर	121

(2) वर्णित ग्रामों में कार्यरत चापाकलों की संख्या निम्नवत है :—

खरीक बाजार	25 अदद
तेलघी	46 अदद
लोकमानपुर	70 अदद
भवनपुरा	43 अदद
ढोढीया	11 अदद
दादपुर	7 अदद

इन चापाकलों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था उक्त स्थानों पर है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलमीनार चालू करना

क–40. श्री कन्हैया कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के मेसकौर प्रखंड के ग्राम पंचायत तुगी में जलमीनार है जो दस वर्षों

से बंद पड़ा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसे चालू कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—स्वीकारात्मक है। पुनर्गठन योजना स्वीकृत की गई है। परन्तु उक्त ग्राम के आस–पास एवं नदी में पर्याप्त जल स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं हो सका है ।

जलापूर्ति का निर्माण

क–78. श्री कौशल यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल प्रखंड के मझौला पंचायत पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे उक्त पंचायत के आस–पास के गाँवों में पेय जल संकट उत्पन्न हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पंचायत के लोहसिहानी गाँव में पेय जलापूर्ति का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि नवादा जिला अन्तर्गत कौआकोल प्रखंड के मझौला पंचायत का औसत जल स्तर वर्तमान में 22'-0'' है, जो गर्मी के दिनों में 26'-0'' तक मापा गया है। परन्तु, इस जल स्तर पर पंचायत स्तर पर अधिष्ठापित इण्डिया मार्क III चापाकलों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल असर नहीं हुआ है।

उक्त ग्राम पंचायत अंतर्गत विभिन्न गाँवों में अधिष्ठापित चापाकलों एवं चालू चापाकलों की संख्या निम्नवत है :—

क्र0	ग्राम का नाम	2001 के अनुसार आबादी	कुल चापाकलों की सं0	चालू चापाकलों की सं0
1	मझौला	872	9	7
2	सलैया	1432	14	12
3	कोल्हुआवर	848	8	6
4	लोहसिहानी	1146	9	7
5	बंदीचक	1046	9	7
6	दुधीयाटांड	395	4	4
7	भलुआही	1330	9	7
8	अमरपुर	524	4	4

लोहसिहानी ग्राम में पेयजल हेतु विभाग के स्तर से कुल 9 चापाकल अधिष्ठापित है जिनमें से 7 चापाकल चालू अवस्था में है, जिनसे उक्त गाँव में वर्तमान में पेयजल व्यवस्था हो रही है।

जलापूर्ति करना

क–82. श्री कृष्णनंदन यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खिजरसराय प्रखंड में सरबहदा एवं मकसूदपुर और अथानी प्रखंड के अथानी में पीने के पानी का जलमीनार बना हुआ है, परन्तु पानी की आपूर्ति नहीं होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जलापूर्ति कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सरबहदा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्व में आवंटित संवेदक द्वारा आंशिक रूप से करने के बाद बीच में ही छोड़ दिया गया। विभाग द्वारा उक्त संवेदक के साथ किये गये एकरारनामा को रद्द करते हुये पुनर्निविदा आमंत्रित कर कार्य आवंटित किया जा चुका है। योजना के अवशेष कार्य जलमीनार सहित 8 माह के भीतर पूर्ण कराकर जलापूर्ति चालू की जायेगी।

मकसूदपुर जलापूर्ति योजना में जलमीनार का कार्य प्रगति में है। जलमीनार का कार्य पूर्ण होने पर जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

अथानी जलापूर्ति योजना में जलमीनार कार्य पूर्ण हो चुका है, परन्तु पाइप लाइन का कार्य लंबित है। लंबित कार्यों को पूर्ण कराकर जलमीनार से जलापूर्ति की जायेगी।

प्रयोगशाला बनाना

ट–50. श्री कृष्णनंदन पासवान—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत हरसिद्धि एवं तुरकौलिया प्रखंड में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला नहीं है, जिससे कृषकों को मिट्टी जाँच में काफी परेशानी होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड कृषि प्रधान प्रखंड है एवं बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में किसानों के हित में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रखंडों में मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय है। किसानों को एकल खिड़की से कई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों में ई० किसान भवन की योजना स्वीकृत की गई है। प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच की सुविधा को दृष्टिपथ में रखते हुये ई० किसान भवन में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला भी सन्निहित की गई है। पूर्वी चंपारण में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला पिपराकोठी में अवस्थित है जहाँ किसानों को निःशुल्क मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्नगत पूर्वी चम्पारण जिला के तुरकौलिया प्रखंड में स्वतंत्र रूप से प्रखंडस्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला (स्वीकृति वर्ष 2007–08) का निर्माण कार्य तथा ई० किसान भवन (स्वीकृति वर्ष 2008–09) का निर्माण कार्य पूर्ण है। हरसिद्धि प्रखंड में भी ई० किसान भवन स्वीकृत है। चरणबद्ध रूप से सभी प्रखंडों में मिट्टी जाँच सुविधा सहित ई० किसान भवन के निर्माण का नीतिगत निर्णय है।

पूर्वी चंपारण जिला में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला पिपराकोठी पूर्वी चम्पारण कार्यरत है जहाँ किसानों को निःशुल्क मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाकर राज्य के सभी राजस्व गाँव से मिट्टी नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा उनके विश्लेषण के आधार पर किसान हित में संतुलित उर्वरक व्यवहार हेतु ऑन लाइन स्वायल हेल्थ कार्ड के लिये वेबसाईट www.biharsoilhealth.com कार्यरत किया गया है।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) उत्तर खंड (1) में सन्निहित है ।

शौचालय का निर्माण

फ–44. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत किसनपुर ग्राम के हेमकुंज उच्च विद्यालय में बालिकाओं के लिये शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार वहाँ शौचालय निर्माण करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है एवं तदनुसार शौचालय निर्माण कराया जा रहा है।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य में उच्च विद्यालयों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य शामिल नहीं है।

जलापूर्ति कराना

फ–45. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर में वार्ड संख्या–1 में पाइप लाइन नहीं बिछाये जाने के कारण वहाँ जलापूर्ति नहीं की जा रही है और लोगों को लौह और आर्सेनिकयुक्त पानी पीना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ जलापूर्ति का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पाइप लाइन बिछाकर जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्नाधीन वार्ड में छूटे हुये क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने की योजना की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त होने पर उक्त कार्य कराया जा सकेगा।

शवदाह गृह का निर्माण

फ–61. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के मनिहारी घाट पर कटिहार, पूर्णियाँ, अररिया, जोगबनी, नेपाल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के दाह–संस्कार के लिये आये लोग जहाँ–तहाँ लाशें जलाते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ–साथ लोगों को असुविधा का भी सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों पर विद्युत शवदाह गृह (मोक्ष धाम) के निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कटिहार में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की योजना स्वीकृत नहीं है।

जलमीनार का निर्माण

फ–9. श्रीमती मंजू हजारी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत नगर पंचायत, रोसड़ा में पूर्व में निर्मित जलमीनार और जलापूर्ति पाइप लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुका है, जिससे नगर में गंदे पेयजल की आपूर्ति हो रही है ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रोसड़ा नगर पंचायत में नये जलमीनार का निर्माण और नया पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। रोसड़ा नगर पंचायत जलापूर्ति योजना चालू स्थिति में है तथा नगरवासियों को जलापूर्ति मुहैया करायी जा रही है। योजना की वितरण प्रणाली में लीकेज उत्पन्न हुआ था परन्तु उसकी मरम्मती कराकर पाइप लाइन ठीक कर दी गई है। वर्तमान में पाइप लाइन से जल रिसाव नहीं है तथा इस योजना से जलापूर्ति की जा रही है।

(2) उपरोक्त खंड (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

पेयजल उपलब्ध कराना

फ–27. श्रीमती मंजू देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा, शिवाजीनगर एवं सिंघिया प्रखंड से होकर गुजरने वाली बागमती नदी (करेह) एवं पुरानी बागमती के किनारे बसे गाँव में नलकूप से निकले पानी में लौह अयस्क की मात्रा अधिक पाया जाता है जिससे वहाँ बसे लोगों के पीने का पानी शुद्ध नहीं मिलता है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वहाँ बसे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गहरा नलकूप लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के संबंधित क्षेत्रों में अवस्थित नलकूपों के जल जाँच प्रतिवेदनों के अनुसार अधिकांश नलकूपों के जल में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा के अन्दर पाई गई है।

(2) भू–गर्भीय जल में अनुमान्य सीमा से अधिक आर्सेनिक की मात्रा पाये गये बसावटों के लिये गहरे नलकूपों के साथ इंडिया मार्क II पम्प के चापाकलों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है।

पानी टंकी चालू करना

फ–50. श्री नीरज कुमार सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत छातापुर में तीन वर्ष पूर्व जलमीनार बनकर तैयार है एवं पाइप लाइन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार से अभीतक पानी सप्लाई नहीं शुरू हो पाया है, जिससे वहाँ की जनता जलापूर्ति के लाभ से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पानी टंकी को यथाशीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिला अंतर्गत प्रतापुर प्रखंड अंतर्गत पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण है।

(2) लो भोल्टेज के कारण नियमित रूप से पम्प नहीं चल पाता है जिसके कारण जलापूर्ति बाधित रहती है। पर्याप्त भोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी से अनुरोध किया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जमीन उपलब्ध कराना

रा–12. श्रीमती पूनम देवी यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया प्रखण्ड के माडर दक्षिणी पंचायत के वार्ड नं० 4 में 115 महादलित परिवार और वार्ड नं० 7 में 70 महादलित परिवार को अबतक 3 डीसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उन महादलित परिवारों को घर बनाने के लिये 3 डीसमिल जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। द्वितीय सर्वेक्षण के तहत 185 महादलित परिवारों को भूमि क्रय कर दी जानी है, भूमि उपलब्ध हो चुकी है। भूमि क्रय करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। क्रय कर भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी।

पानी उपलब्ध कराना

फ–28. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत काशीचक प्रखंड के ग्राम–मधेपुर में जल स्तर काफी नीचे रहने से पेयजल का घोर अभाव है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पानी का अभाव दूर करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। नवादा जिलान्तर्गत काशीचक प्रखंड के मधेपुर ग्राम में नलकूप का वर्तमान में भू–जल स्तर 22'-0" तथा गर्मी के दिनों में अधिकतम 30'-0" फीट मापा गया है। इतने भू–जल स्तर पर विभागीय इंडिया मार्क III पम्प चालू रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मधेपुर ग्राम की जनगणना के अनुसार मधेपुर ग्राम की आबादी 590 है। उक्त ग्राम में 5 चापाकल चालू है। निर्धारित माप दंड के अनुसार प्रश्नाधीन ग्राम पूर्ण आच्छादित है तथा अभी पेयजल की समस्या नहीं है।

जलापूर्ति कराना

फ–12. श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के अंधराठाढ़ी उत्तर पंचायत में राजकीय मध्य विद्यालय के निकट पेयजल की उपलब्धता के लिये 2 वर्ष पूर्व से पानी टंकी बनकर तैयार है तथा ऑपरेटर भी उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक पानी टंकी को चालू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पानी टंकी को कबतक चालू कराकर पेयजल संकट दूर करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अधराठाढ़ी उत्तरी ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना में सभी अवयवों का कार्य पूर्ण कराकर इसे पूर्व में ही चालू करा दिया गया था। राइजिंग मेन के निकट लिकेज होने के कारण जलमीनार से जलापूर्ति बाधित थी, जिसकी मरम्मती कर पानी टंकी से जलापूर्ति चालू कर दी गई है।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पेयजल की आपूर्ति

फ–60. श्री राम लषण राम 'रमण'—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड के ग्राम–कोइलख, सहसपुर एवं सुगौन उत्तर तथा अंधराठाढ़ी प्रखंड के ग्राम–गंगाद्वार एवं सहुरिया में पेय जलापूर्ति हेतु एक मिनी जल आपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2011–12 में बोरिंग का काम सम्पन्न कराया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेयजल आपूर्ति योजना को अप्रैल, 2012 से अधूरा छोड़कर ठेकेदार चला गया ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पेयजल आपूर्ति कराना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर प्रखंड के ग्राम–कोइलख, सहसपुर, सुगौन उत्तर तथा अंधराठाढ़ी प्रखंड के देवहार पंचायत अंतर्गत सहुरिया, सलहेश स्थान में बोरिंग का कार्य वर्ष 2011–12 में पूर्ण किया जा चुका है। गंगाद्वार में बोरिंग कार्य नहीं किया गया है।

संबंधित फर्म को कार्य की अत्यन्त धीमी प्रगति के कारण 'नोटिस' निर्गत कर स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं उनके साथ सम्पन्न एकरारनामा रद्द करने की कार्रवाई की जाये एवं जमानत की राशि राज्यसात कर दी जाये।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति करना

फ–19. श्री राम बालक सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड में 1. सिंघिया उत्तर 2. कल्याणपुर उत्तर 3. नरहन में जलमीनार है, लेकिन ग्रामीण जलापूर्ति नहीं हो रही है, सरकार उक्त जलमीनार को चालू कराकर जलापूर्ति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया उत्तर, कल्याणपुर उत्तर एवं नरहन तीनों योजनाओं में जलमीनार है तथा जलापूर्ति दैनिक रूप से की जा रही है।

पानी उपलब्ध कराना

फ–106. श्री रत्नेश सादा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सोनवर्षा प्रखंड में वर्ष 2009–10 में जलमीनार का निर्माण हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार से आपूर्ति अभी नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो जनहित में सरकार कबतक उक्त जलमीनार से उक्त प्रखंड के लोगों को शुद्ध जल पीने के लिये आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिला के सोनवर्षा प्रखंड में जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2010–11 में हुआ है ;

(2) अस्वीकारात्मक है। उक्त जलापूर्ति योजना के तहत निर्मित जलमीनार से मार्च, 2011 से तथा विद्युत उपलब्धता के अनुसार जलापूर्ति हो रही है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पानी टंकी लगाना

फ–107. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत कुमारखंड प्रखंड ग्राम–गोपालपुर में पानी टंकी नहीं है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोपालपुर में पानी टंकी लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर रौता पंचायत के गोपालपुर गाँव की जनसंख्या 533 है तथा गोपालपुर में 8 आई0आर0पी0 के साथ चापाकलों से जलापूर्ति दी जा रही है, जो निर्धारित माप दण्ड के आलोक में पर्याप्त है।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जल उपलब्ध कराना

फ–109. श्री रामदेव महतो—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत जमसम एवं रहिका प्रखंड अंतर्गत बलिया गाँव में पेयजल योजना के तहत बोरिंग गाड़ा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि टावर बनाकर गाँव में पाइप लाइन भी बिछा दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त बोरिंग के चालू नहीं करने के कारण ग्रामीण को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक बोरिंग चालू कराकर स्वच्छ जल उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) पंडौल प्रखंड के जमसम ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनान्तर्गत प्रावधानित अवयवों के विरुद्ध नलकूप पम्प चैम्बर, पाइप लाइन स्टैंड, पोस्ट (22 अदद) चहारदीवारी, जल वितरण प्रणाली, जेनरेटर अधिष्ठापन एवं जलमीनार का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्रांसफॉर्मर के पावर वाइरिंग का कार्य प्रगति पर है। विद्युत संयोजन के पश्चात जलापूर्ति चालू कर दी जायेगी।

रहिका प्रखंड के बलिया ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना में प्रावधानित अवयवों के विरुद्ध नलकूप पम्प चैम्बर, पाइप लाइन, स्टैंड पोस्ट, चहारदीवारी, एप्रोच रोड एवं जलमीनार का कार्य पूर्ण हो चुका है। जलापूर्ति चालू कर दी गई है।

(4) उपर्युक्त खंड (3) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पेयजल उपलब्ध कराना

फ–110. श्री रामदेव महतो—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड में भवानीपुर एवं कमलपुर तथा रहिका प्रखंड

में मच्छी गाँव में मिनी जल आपूर्ति योजना के तहत बोरिंग एक वर्ष पूर्व गाड़ा गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि एक भी बोरिंग चालू नहीं हो सका ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बोरिंग को कबतक चालू कराकर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

(2) पातेपुर प्रखंड के भवानीपुर बाबा उग्रनाथ मंदिर के निकट सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना के तहत नलकूप का निर्माण वर्ष 2011–12 में संवेदक द्वारा कराया गया था परन्तु वह बोर असफल हो गया। संवेदक को पुनः नलकूप का निर्माण कराने हेतु आदेश दिया गया है।

पातेपुर प्रखंड के कमलपुर गाँव में नहीं बल्कि सहसपुर ग्राम में पासवान टोला में विद्युत चालित मिनी जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। संवेदक द्वारा नलकूप का निर्माण कराया जा चुका है।

राहिका प्रखंड में मच्छी ग्राम के महादलित टोल में सोलर चालित मिनी जलापूर्ति योजना अंतर्गत नलकूप का कार्य पूर्ण हो चुका है। पम्प चैम्बर का कार्य प्रगति में है।

संवेदकों को जून, 2013 तक उक्त स्थानों पर योजनायें पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

(3) उपरोक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलमीनार का निर्माण

क–103. श्री रामायण मांझी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत दरौली प्रखंड मुख्यालय में बैंक, प्रखंड, अंचल, थाना, कार्यालय, संस्था अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जलमीनार नहीं रहने के कारण आम लोगों को जलापूर्ति में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरौली प्रखंड मुख्यालय में एक जलमीनार का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिला के दरौली जलापूर्ति योजना वर्ष 1985–86 में स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत पी०भी०सी० पाइप लाइन बिछाया गया था। पाइप लाइन क्षतिग्रस्त एवं एच०टी० लाइन चोरी होने के कारण योजना बंद है। विभाग द्वारा उक्त योजना को चालू करने हेतु 50 लाख की राशि पर सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ पुनर्गठन योजना स्वीकृत की गई है, जिसके कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की गई है। वर्तमान में दरौली प्रखंड मुख्यालय में 113 चापाकल कार्यरत है, जिनसे पेयजल की व्यवस्था हो रही है।

(3) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति करना

क–84. श्री रण विजय कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह एवं हसपुरा प्रखंड जलमीनार हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में निविदा कराया गया था, तदनुसार कार्य प्रारंभ भी हुआ पर अभीतक जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोह प्रखंड के बाजार वर्मा में 1990 के पूर्व जलमीनार बन गया था तथा वर्ष 1995 तक बाजार वर्मा एवं मुड़ना गाँव में जलापूर्ति किया जाता था पर वर्तमान में बंद है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोह हसपुरा एवं बाजार वर्मा में जलमीनार से जलापूर्ति करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है।

- मोह जलापूर्ति योजना अंतर्गत उच्च प्रवाही नलकूप, पम्प गृह, जलमीनार एवं 100mm व्यास तक के पाइप बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 80mm एवं इसके नीचे के व्यास के पाइप का कार्य शीघ्र पूरा कर तीन माह के अंतर्गत जलापूर्ति चालू कर दिया जायेगा।

- हसपुरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जलमीनार एवं पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बाजार वर्मा में अभीतक कोई जलमीनार का निर्माण नहीं किया गया है। वर्ष 1996 तक बिना जलमीनार के ही जलापूर्ति की जा रही थी, परन्तु वर्तमान में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं काफी पुरानी हो जाने के कारण योजना के पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दिया जा रहा है।

(3) उपर्युक्त खंडो में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

प्रयोगशाला बनाना

ट–52. श्री राम प्रवेश राय—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली एवं मांझा प्रखंडों में मिट्टी जाँच की प्रयोगशाला नहीं रहने के कारण आम किसानों को खेती करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन दोनों प्रखंडों में मिट्टी जाँच की प्रयोगशाला शीघ्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा सभी प्रखंडो में मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय है। किसानों को एकल खिड़की से कई सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी प्रखंडो में ई0 किसान भवन की योजना स्वीकृत की गई है। प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच की सुविधा को दृष्टिपथ में रखते हुये ई0 किसान भवन में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला भी सम्मिलित की गई है। गोपालगंज में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, उद्यान नर्सरी गोपालगंज में अवस्थित है जहाँ किसानों को निःशुल्क मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्नगत गोपालगंज जिला के बरौली एवं मांझा प्रखंडों में मिट्टी जाँच सुविधा सहित ई0 किसान भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

बरौली प्रखंड में ई0 किसान भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है जबकि मांझा प्रखंड में ई0 किसान भवन निर्माणाधीन है। चरणबद्ध रूप से सभी प्रखंडो में मिट्टी जाँच सुविधा सहित ई0 किसान भवन के निर्माण का नीतिगत निर्णय है। निर्मित ई0 किसान भवन मे मिट्टी जाँच सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

गोपालगंज जिला में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, गोपालगंज कार्यरत है जहाँ किसानों को निःशुल्क मिट्टी जाँच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाकर राज्य के सभी राजस्व गाँव से मिट्टी नमूने एकत्रित किये जाते हैं तथा उनके विश्लेषण के आधार पर किसान हित में संतुलित उर्वरक व्यवहार हेतु ऑन लाइन स्वायल हेल्थ कार्ड के लिये वेबसाईट कार्यरत किया गया है।

(2) उत्तर खंड (1) में सन्निहित है।

जलापूर्ति फिक्सर बदलना

फ–79. श्री शिवजी राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के पुनाईचक स्थित ललित भवन के पीछे पुनाईचक, पटना स्थित सरकारी आवास सं0 ए/1, ए–2 ए/3, ए–4 में विगत दस वर्षों से जल अधिष्ठापन का कार्य नहीं होने से आवंटितों का जलापूर्ति संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा आवास में लगाये गये फिक्सर्स पुराने व जर्जर हो चुके हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आवासों के बगल के आवासों बी/1 एवं बी/4 में जलापूर्ति अधिष्ठापन का कार्य कर दिया गया है तथा पुराने फिक्सर्स को 2012 में बदल दिया गया है, परन्तु खंड (1) में वर्णित आवासों का नहीं बदला गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित आवासों में जलापूर्ति अधिष्ठापन का कार्य करने तथा पुराने फिक्सर्स को बदलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित आवासो में वर्तमान में जलापूर्ति की समस्या नहीं है। आवश्यकतानुसार आवासों के पुराने फिक्सर्स को समय-समय पर बदला जाता है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) खण्ड (1) में वर्णित आवासों में फिक्सर्स बदलने की आवश्यकता के संबंध में जाँच क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना से कराकर फिक्सर्स बदलने के बिंदु पर निर्णय लिया जायेगा।

जलमीनार का निर्माण

फ-97. श्री संजय सिंह टाईगर—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत संदेश प्रखंड के अखगाँव में बाजार है, जहाँ जलमीनार नहीं है जिसके कारण जलापूर्ति में आम लोगों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर जलमीनार का निर्माण कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखंड के अखगाँव बाजार में पेयजल हेतु जलमीनार नहीं है। इस ग्राम की आबादी 2,778 है एवं इसमें 33 चापाकल कार्यरत है जिनसे पेय जलापूर्ति की व्यवस्था हो रही है।

इस ग्राम के लिये अभी पाइप जलापूर्ति योजना प्रस्तावित नहीं है।

पाइप की मरम्मती

फ-80. श्री सुरेश चंचल—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा एवं मुरौल प्रखंड मुख्यालय में स्थापित ग्रामीण जलापूर्ति योजना की स्थापना लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेय जलापूर्ति के लिये बिछाये गये पाइप में गड़बड़ी के कारण जलापूर्ति योजना के चालू होते ही नलकूप का पानी पाइप से आपूर्ति होने के बजाय सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों का चलना-फिरना भी दूभर हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में स्थापित पेय जलापूर्ति योजना से पानी सप्लाई होने वाले पाइप लाइन की मरम्मती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रक्षाधीन पाइप जलापूर्ति योजना में यत्र-तत्र जल रिसाव है, जिसकी मरम्मती करायी जा रही है। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जा रहा है कि वे पाइप लाइन की मरम्मती 15 दिनों में करावें ताकि जल रिसाव बंद हो सके एवं योजना से सही ढंग से पेय जलापूर्ति हो सके।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति करना

फ-111. श्री सुरेश चंचल—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंडान्तर्गत सरमस्तपुर एवं मुरौल प्रखंडान्तर्गत मीरापुर स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना बन्द पड़ा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त बंद पड़े ग्रामीण जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक है। वर्तमान में सकरा प्रखंडान्तर्गत सरमस्तपुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना तथा मुरौल प्रखंड अंतर्गत मीरापुर ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना चालू है।

पूर्व में सरमस्तपुर पाइप जलापूर्ति योजना पम्प चालक की कमी के कारण तथा मीरापुर जलापूर्ति योजना विद्युत दोष के कारण बंद थी। वर्तमान में दोनों ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है।

राशन की आपूर्ति

ख–14. श्री संजय कुमार—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत राजापाकड़ प्रखण्ड के अधीन ग्राम पंचायत बखरी बराई के ग्राम–फरीदपुर के दस पीला कार्डधारियों को माह फरवरी, 2012 से नवम्बर, 2012 तक की अवधि में डीलर एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, राजापाकड़ (वैशाली) के मिली भगत से राशन नहीं प्राप्त हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रभावितों ने जिला समाहर्ता, वैशाली एवं मुख्य मंत्री, बिहार के जनता दरबार में दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को आवेदन क्रमांक 1510127023 प्रस्तुत किया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्रांक 236, दिनांक 5 जनवरी, 2013 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली को पत्र लिखा था ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित कार्डधारियों को बकाया राशन की आपूर्ति कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड राजापाकड़ के बखरी बराई के पैक्स के जन–वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायत–पत्र के आलोक में पैक्स के सभी सम्बद्ध उपभोक्ताओं को सम्बद्धन अनुमंडल कार्यालय, महुआ के ज्ञापांक 47, दिनांक 27 अक्टूबर, 2012 द्वारा समाप्त कर उसी पंचायत के जन–वितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध किया गया एवं माह जुलाई से अक्टूबर तक का खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है तथा नवम्बर माह का खाद्यान्न की वितरण की कार्रवाई की जा रही है।

माह फरवरी, 2012 से जून, 2012 तक पैक्स विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की मूल्य राशि समय पर जमा नहीं करने तथा ससमय खाद्यान्न वितरण नहीं करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) स्वीकारात्मक है।

(4) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अनाज का वितरण

ख–25. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के बेलसंड एवं परसौनी प्रखंडों में अन्त्योदय योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के अनाजों के उठाव विगत दस महीनों से नहीं होने के कारण लाभुकों के बीच आक्रोश व्याप्त है ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में लाभुकों के बीच अनाज वितरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। बेलसंड एवं परसौनी प्रखंड में राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी द्वारा माह जनवरी, 2012 से नवम्बर, 2012 तक का अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आपूरित खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया गया है। माह दिसम्बर, 2012 का उठाव एवं वितरण कार्य जारी है। अन्नपूर्णा योजना के सभी लाभुकों को वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आच्छादित कर दिया गया है।

(2) उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

प्राधिकार का गठन

रा–11. श्री सुबोध राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला का विश्वविख्यात सुलतानगंज श्रावणी मेला लाखों देशी–विदेशी शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं का महाकुंभ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वहाँ कोई अलग मेला प्राधिकार नहीं रहने के कारण स्थानीय प्रशासन श्रावणी मेला का कुशल प्रबंधन नहीं कर पाता है जिससे काँवरियों एवं स्थानीय जनता को भारी कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वच्छता, स्वास्थ्य, बिजली, विधि व्यवस्था, राजस्व प्रबंधन के लिये सुलतानगंज श्रावणी मेला के लिये अधिकार सम्पन्न मेला प्राधिकार का गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रावणी मेला का कुशल प्रबंधन किया जाता है।

(3) अस्वीकारात्मक है। बिहार राज्य मेला प्राधिकार के सदस्यों का जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनके स्थान पर नये सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया विचाराधीन है। शीघ्र ही इसपर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

अंचल से जोड़ना

रा–77. श्री श्याम देव पासवान—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत फतेहपुर प्रखण्ड के मतासो पंचायत का ग्राम–मतासो । पौवा फतेहपुर प्रखण्ड में पड़ता है, जबकि उसका अंचल टनकुप्पा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मतासो एवं पौवा गाँवों के प्रखण्ड और अंचल अलग–अलग रहने के कारण ग्रामवासियों को अपने कार्यों के निष्पादन में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम–मतासो एवं पौवा गाँव को फतेहपुर अंचल में जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) राजस्व विभागीय पत्रांक 110, दिनांक 13 मार्च, 2013 द्वारा समाहर्ता, गया से प्रस्ताव माँगा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कारंवाई की जायेगी।

जलापूर्ति कराना

फ–31. श्री श्रवण कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अंतर्गत बेन प्रखंड के बारा, एकसारा, सौरे में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव की आबादी लगभग पाँच हजार है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त ग्रामों में ग्रामीण पाइप जलापूर्ति लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बारा, एकसारा एवं सौरे ग्राम में हस्तचालित नलकूपों (चापाकलों) के द्वारा पेय जलापूर्ति की जा रही है ;

(2) वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार ग्राम–बारा की आबादी 3,411, ग्राम–एकसारा की आबादी 4,893 एवं ग्राम–सौरे की आबादी 3,582 है।

(3) उक्त गाँवों में पाइप जलापूर्ति योजना के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से Technical Feasibility प्रतिवेदन माँगा जा रहा है।

जल मुहैया कराना

क–105. श्री संतोष कुमार—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखंड के हरखौली पंचायत के लालबालू गाँव एवं रामपुर पंचायत के कोचौली गाँव में दूषित जल आता है, जिससे वहाँ पेयजल संकट व्याप्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार शुद्ध जल मुहैया कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियाँ जिला के डगरूआ प्रखंड अंतर्गत हरखौली पंचायत के लालबालू एवं रामपुर पंचायत के कोचौली गाँव के भू–गर्भीय पेयजल स्रोतों में लौह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पाई गई है। लालबालू ग्राम में विभागीय दो चापाकल है, जिसमें से एक में आयरण रिमूवल हैण्ड अटैचमेन्ट यूनिट अधिष्ठापित है एवं इससे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ग्राम में सौर ऊर्जा संचालित एवं आयरण रिमूवल संयंत्र के साथ मिनी पाइप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु संवेदक को आदेश दिया गया है, जिसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो जायेगा।

रामपुर पंचायत अन्तर्गत कोचौली ग्राम में कुल आठ अदद विभागीय चापाकल है, जिसमें से तीन चापाकलों में लौह निष्कासन संयत्र अधिष्ठापित है, जो चालू है एवं लौह निष्कासन संयंत्र के साथ दो अदद नये चापाकलों के निर्माण हेतु संवेदक को स्थल चयन कर कार्य आवंटित है।

पानी टंकी चालू करना

क–34. श्रीमती (प्रो0) उषा सिन्हा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा प्रखंड के मिर्जापुर ग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पानी टंकी बनकर तैयार है किन्तु अभीतक चालू नहीं हो पाया है, जिससे सैकड़ों की आबादी को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पानी टंकी को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। विद्युत् संयोजन नहीं होने के कारण योजना चालू नहीं हो पाई है। इस योजना के लिये विद्युत् संयोजन का प्राक्कलन तैयार करने हेतु विद्युत् आपूर्ति प्रमंडल, एकंगरसराय (नालंदा) से अनुरोध किया गया है। विद्युत् संयोजन होने पर योजना से जलापूर्ति चालू की जा सकेगी।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जलापूर्ति कराना

क–64. श्रीमती (प्रो0) उषा सिन्हा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अंतर्गत परवलपुर से जलापूर्ति योजना नं0 2 का निर्माण कार्य एवं जलापूर्ति पाइप बिछाने का कार्य वर्ष 2009 से शुरू हुआ परन्तु अबतक कार्य पूरा नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। इस योजना के तहत एकरारनामा के अनुसार अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण है। निर्मित दो जलमीनारों में से एक के माध्यम से जलापूर्ति दी जा रही है। दूसरी जलमीनार में पाइपों के संयोजन का कुछ कार्य बाकी है जिसे एक माह के भीतर पूर्ण करा दिया जायेगा।

ट्रेजरी खोलना

रा–31. डॉ० उषा विद्यार्थी—क्या मंत्री, वित्त विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पालीगंज अनुमंडल का निर्माण 1999 में हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक वहाँ ट्रेजरी की व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वहाँ का सारा कार्य दानापुर ट्रेजरी से होती है, जिसके कारण काफी असुविधा होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पालीगंज अनुमंडल में उप–कोषागार (ट्रेजरी) खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(4) अनुमंडलों में कोषागार स्थापित करने की कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल में कोषागार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी कि आम जनता को जिन कार्यों के लिये कोषागार जाने की जरूरत पड़ती है, उसके लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाये ताकि कोषागार स्थापित करने की जरूरत ही नहीं पड़े।

पदस्थापित करना

रा–13. श्री वैद्यनाथ सहनी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी का पद छः माह से रिक्त है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचल कार्यालय में अविलम्ब अंचलाधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर स्वीकारात्मक है। अंचल अधिकारी, मोरवा, समस्तीपुर के रिक्त पद पर पदस्थापन की कार्रवाई चल रही है।

पेयजल मुहैया कराना

फ–15. श्री वैद्यनाथ सहनी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत हरपुर भिन्डी, गुनाई बसही, मोड़ा खुर्द बैना, चकसिकन्दर, माधोपुर ग्राम बाढ़ प्रभावित है; उक्त ग्रामों में बाढ़ के दिनों में ग्रामवासियों को दूषित पानी पीने को विवश होना पड़ता है ;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों की समस्याओं को देखते हुये ग्राम पंचायत हरपुर भिन्डी में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। सिर्फ भीषण एवं लगातार कई दिनों तक वर्षापात होने की स्थिति में वर्णित ग्रामों में जल–जमाव की स्थिति बनती है। जल–जमाव की स्थिति बनने पर चापाकलों में अतिरिक्त पाइप जोड़कर चापाकलों का स्तर ऊँचा किया जाता है, जिससे बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल सुलभ हो सके।

विभाग के स्तर से जाँच कराकर आवश्यकतानुसार ऊँचे प्लेटफार्म के साथ उक्त गाँवों में चापाकलों का निर्माण कराया जायेगा।

(2) उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पेयजल उपलब्ध कराना

फ–18. **श्री विनोद प्रसाद यादव**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत आमस प्रखंड के चण्डी स्थान बाजार में पेयजल की सुविधा नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि चण्डी स्थान पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण पेयजल की समस्या बनी रहती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चण्डी स्थान बाजार में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। चण्डी स्थान बाजार की जनसंख्या लगभग 500 है। विभाग द्वारा कुल 6 अदद चापाकल अधिष्ठापित हैं, जिसमें 6 अदद चालू है। उक्त गाँव निर्धारित माप दंड के अनुसार आच्छादित है।

पहाड़ी क्षेत्र के कारण ग्रीष्म में पानी की समस्या होती है। आवश्यकता पड़ने पर टैंकर से पानी की व्यवस्था करायी जायेगी।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पेय जलापूर्ति करना

फ–83. **श्रीमती वीणा देवी**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंडान्तर्गत ग्राम–धनौर, सोनपुर, शिवदासपुर, मधोपुर, बेरही दक्षिण में पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में मिनी प्लांट बैठाकर शुद्ध पेय जलापूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न जल स्रोतों के जल नमूनों की जाँच में अभीतक आर्सेनिक की मात्रा नहीं पाई गई है।

पेयजल का आपूर्ति

फ–85. **श्रीमती वीणा देवी**—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड में पेयजल हेतु 5 वर्ष पूर्व ही जलापूर्ति प्लांट का निर्माण किया गया है, परन्तु अबतक जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की गयी है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्लांट को चालू कराकर पेयजल मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड अंतर्गत बंदरा प्रखंड मुख्यालय स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू अवस्था में है।

(2) उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अंकेक्षण कराना

ट–51. **श्री विजय कुमार सिन्हा**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला अन्तर्गत कृषि विभाग का वित्तीय वर्ष 2008 से 2012 तक लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लखीसराय जिला अन्तर्गत कृषि विभाग का अंकेक्षण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) लखीसराय जिला अन्तर्गत कृषि विभाग का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा अक्टूबर, 2008 तक का अंकेक्षण किया गया है। उसके उपरान्त 2012 तक का अंकेक्षण नहीं हुआ है।

(2) महालेखाकार, बिहार, पटना अंकेक्षण कराने के लिये स्वतंत्र है। उनके द्वारा ही कार्यक्रम निर्धारित कर अंकेक्षण किया जाता है।

जलापूर्ति पाइप लगाना

क–75. श्री विजय कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नम्बर 28 में वानो महतो मार्केट से बाजार समिति तक जलापूर्ति पाइप नहीं बिछाई गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप नहीं रहने से मोहल्ले में रहने वाले 10 हजार लोगों को पानी के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है। लखीसराय नगर परिषद् में कुल वार्डों की संख्या 33 है, जिसके लिये दो योजनाएँ पुरानी बाजार एवं नयी बाजार के लिये इस विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरान्त नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

(2) अस्वीकारात्मक है। इस क्षेत्र में चापाकलों के माध्यम से मोहल्ले के वासियों के लिये पेयजल की व्यवस्था की गयी है।

(3) उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

पदाधिकारी पर कार्रवाई

रा–8. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल कार्यालय, योगापट्टी परिसर में अंचलाधिकारी का आवास उपलब्ध रहने के बावजूद छः माह पूर्व से तत्कालीन अंचलाधिकारी अपने मुख्यालय में नहीं रहकर जिला मुख्यालय में विश्राम करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुख्यालय में अंचलाधिकारी नहीं रहने के कारण विधि–व्यवस्था या अन्य कार्यों के निष्पादन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यालय से बाहर रहने वाले लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) समाहर्ता, प० चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक 70, दिनांक 20 फरवरी, 2013 के आलोक में श्री मीर एनुल हक, अंचल अधिकारी, योगापट्टी को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।

आधुनिकीकरण करना

रा–04. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में जमीन का नक्शा उपलब्ध कराने हेतु एक मात्र प्रेस गुलजारबाग, पटना में स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रेस में आधारभूत संरचना एवं कर्मचारी की कमी के कारण पूरे प्रदेश के नागरिकों को ससमय नक्शा नहीं मिल पाता है तथा नक्शा की मूल प्रति जो आम नागरिकों को दिया भी नहीं जाता और केवल छायाप्रति के लिये आवेदन प्राप्त किये जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रेस का आधुनिकीकरण कर हर प्रकार का नक्शा आम जनता को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। उपलब्ध संसाधनों से आमजनों को माँग के अनुसार मुद्रित / छायाप्रति राजस्व मानचित्र ससमय उपलब्ध करायी जाती है।

(3) प्रेस का आधुनिकीकरण के तहत नयी तकनीक की मशीन का क्रय किया गया है। मानचित्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य वाह्य स्रोत के माध्यम से कराया जा रहा है ताकि मानचित्रों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके और आमजनों को सुगमतापूर्वक भविष्य में उपलब्ध करायी जा सके।

दोषी पर कार्रवाई

रा–9. **श्री गिरिधारी यादव**—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिला में भू–लगान की दर 4 रुपये से लेकर 8 रुपये प्रति एकड़ सरकार द्वारा निर्धारित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत एक वर्ष से उपरोक्त सरकारी दर के बदले पूरे बाँका जिले में राजस्व कर्मचारियों द्वारा 100 रुपये से 200 रुपये प्रति एकड़ भू–लगान वसूला जा रहा है, जिसके रसीद की प्रविष्टि अभिलेख में नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी दर से अधिक राशि वसूलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है। 4 से 6 रु० (चार से छः) रुपये तक प्रति एकड़ भू–लगान दर निर्धारित है।

(2) अस्वीकारात्मक है। ऐसी कोई सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं है कि बिना रसीद पर प्रविष्टि के राजस्व कर्मचारी द्वारा 100 से 200 रु० प्रति एकड़ भू–लगान वसूला जाता है। लिखित सूचना प्राप्त होने पर जाँचकर कार्रवाई की जायेगी।

(3) खण्ड (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अभिलेख ऑन लाइन कराना

रा–10. **श्री गिरिधारी यादव**—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर 2 के सभी भू–जमाबंदी को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है परन्तु उक्त निर्णय का उल्लंघन कर बाँका जिला प्रशासन द्वारा रैयतों को सूचना प्रकाशित कर सूचित किया गया है कि अपनी जमाबंदी के बारे में फॉर्मेट में भरकर सूचना अंचल को प्रस्तुत करें जिसके कारण एक ही जमीन के बारे में कई लोग फॉर्मेट में सूचना भरकर उपलब्ध करा रहे हैं जिससे जिले में नया भू–विवाद शुरू हो गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार रजिस्टर 2 के अभिलेख को ही ऑन लाइन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है रैयतवार अद्यतन चालू खतियान का संधारण एवं ऑन लाइन प्रकाशन। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 द्वारा रैयतों

से धारित भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्वघोषणा–पत्र प्राप्त करने के लिये प्रपत्र 2 विकसित किया गया है। प्रपत्र 2 में रैयतों से प्राप्त ब्योरा को राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचलाधिकारी द्वारा पंजी II, सर्वे खतियान, लगान रसीद तथा समय–समय पर निर्गत पर्चा से मिलान करने एवं जाँचोपरांत प्रपत्र 3 तैयार किया जाता है। प्रपत्र 3 चालू खतियान के 14 कॉलम पर आधारित है। इसी प्रपत्र 3 के आधार पर जिला स्तर पर भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है।

कम्प्यूटरीकरण के बाद अंचल कार्यालयों द्वारा चालू खतियान का प्रकाशन कर भू–धारियों से दावा/आपत्ति प्राप्त की जाती है ताकि भूमि विवाद की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किये गये भू–अभिलेख पर भूमि विवाद की संभावना प्रतीत नहीं होती है। विभाग द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के भू–अभिलेख डाटा को ऑन लाइन करने की दिशा में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अतिक्रमण मुक्त कराना

रा–8. डॉ0 इजहार अहमद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत बिरौल अंचल स्थित सुपौल बाजार के हटियागाछी हाट की भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है, यदि हाँ, तो उक्त हाट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—समाहर्ता, दरभंगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सुपौल बाजार के हाटगाछी के अतिक्रमित भूमि को दिनांक 16 मई, 2013 को अतिक्रमण से पूर्णतः मुक्त करा दिया गया है।

पदस्थापन करना

रा–1. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के खरीक अंचल में अंचलाधिकारी का पद जनवरी, 2012 से रिक्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त रिक्त पद पर पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 167 (3), दिनांक 7 मई, 2013 द्वारा श्री इन्द्रजीत कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हरनौत, नालंदा को अंचल अधिकारी, खरीक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है।

श्री इन्द्रजीत कुमार, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, हरनौत, नालंदा द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2013 के पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, खरीक, भागलपुर का प्रभार ग्रहण कर लिया गया है।

लगान कार्य कराना

रा–5. श्री कुमार शैलेन्द्र—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडल के भूमि सुधार उप–समाहर्ता द्वारा ग्राम–रायपुर, मौजा खाता नं0 722, खेसरा नं0 1237, 1223, 1524, 1335, खाता नं0 933, 930, खेसरा नं0 क्रमशः 1453, 14 एवं खाता सं0 923, खेसरा नं0 1616 इत्यादि भू–खंडों का काबिल लगान का कार्य नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि अंचल अधिकारी, नारायणपुर से काबिल लगान निर्धारण हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप–समाहर्ता, नवगछिया को प्राप्त कराया गया था एवं भूमि सुधार उप–समाहर्ता, नवगछिया के पत्रांक 923, दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु प्रश्नगत तीन अभिलेख अंचल अधिकारी, नारायणपुर को वापस किया गया था। जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 30 जुलाई, 2013 तक स्वीकृति की कार्रवाई कर दी जायेगी।

परियोजना शुरू कराना

रा–11. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गाँव की जमीन का नक्शा लेने के लिये राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है, यदि हाँ, तो राज्य के सभी जिलों में "गाँवों में नक्शा प्राप्त कराने की परियोजना" शुरू करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। जमीन का नक्शा जिला मुख्यालय एवं बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्व मानचित्रों के डिजिटाईजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है। वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन कराने की कार्य योजना है जिससे किसानों को राजस्व मानचित्र अंचल में उपलब्ध हो सकेगा ।

राशि उपलब्ध नहीं कराना

रा–13. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज ने अपने ज्ञापांक 1751, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा गोपालगंज जिला के हथुआ, सिधवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंडों में महादलित टोले में सम्पर्क पथ हेतु भूमि अर्जित करने हेतु 33 लाख 27 हजार 632 रु० की आवंटन की माँग उप–सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सचिव एवं आयुक्त, सारण प्रमंडल से की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011 से अबतक हथुआ, सिधवलिया एवं बैकुंठपुर प्रखंडों में से एक भी महादलित टोले में सम्पर्क पथ हेतु भूमि अर्जित नहीं की गई है, जिससे आवागमन बाधित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सम्पर्क सड़क योजना के तहत अबतक राशि उपलब्ध नहीं कराने का औचित्य क्या है ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। (क) हथुआ प्रखण्ड के अन्तर्गत सिंगहा टोला–बलहीला एवं सिंगहा टोला, बनही में एवं (ख) सिधवलिया प्रखण्ड के अन्तर्गत बुचेयाकली टोला, बुचेया, कवीराज टोला एवं सिधवलिया, केशोपीरा टोला में एवं (ग) बैकुंठपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत दिघवा एवं अन्य पाँच गाँव में (कुल ग्यारह ग्रामों) में सम्पर्क पथ हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से 9 (नौ) योजनाओं में धारा 7/17 (1) की कार्यवाही हो गई है तथा मात्र दो योजनाओं में धारा 4/6 का प्रस्ताव लम्बित है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2011–12 में पत्रांक 22 (S), दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा 6.50 लाख (छः लाख पचास हजार) रुपये, पत्रांक 34 (S), दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा 3.50 लाख (तीन लाख पचास हजार) रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 में पत्रांक 73 (S), दिनांक 20 जनवरी, 2013 द्वारा 39.00 लाख (उनचालीस लाख) रुपये कुल 49.00 लाख (उनचास लाख) रुपये सम्पर्क सड़क मद में गोपालगंज जिला को राशि आवंटित किया गया है।

राशि समायोजन करना

सह–1. श्री रामदेव महतो—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के राजनगर व्यापार मंडल को राइस मिल गैसीफायर एवं मशीन खरीदने हेतु 6.00 लाख रुपया वर्ष 2011 में विभाग द्वारा अग्रिम राशि दी गई है एवं मशीन की खरीद की, परन्तु अभीतक उक्त राशि का समायोजन लंबित है, यदि हाँ, तो उक्त राशि समायोजन हेतु सरकार कौन–सा कदम उठाने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समेकित सहकारी विकास परियोजना, मधुबनी अंतर्गत राजनगर व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण तथा चावल मिल गैसीफायर की समेकित योजना कुल 24.20 लाख रु० की स्वीकृत वर्ष 2010 में दी गई है। उक्त योजना अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु 7.00 लाख रु०

गैसीफायर एवं चावल मिल संयंत्र हेतु 15.00 लाख रु0 एवं व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी के रूप में 2.00 लाख रु0 कर्णांकित थे।

उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राजनगर व्यापार मंडल को भवन निर्माण मद में 6.30 लाख रु0 तथा संयंत्र मद में 7.60 लाख रु0 कुल 13.90 लाख रु0 उपलब्ध कराये गये हैं एवं शेष 10.30 लाख रु0 समिति के विशेष खाता में जमा है। उपलब्ध कराये गये राशि के विरुद्ध कराये गये निर्माण कार्य (मापी पुस्तिका के आधार पर) के अनुरूप 595989.00 रु0 का समायोजन हो चुका है तथा शेष 34011.00 रु0 के प्रमाणक समिति स्तर पर समायोजन हेतु शेष है। व्यापार मंडल द्वारा संयंत्र आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को 7.60 लाख रु0 अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराया गया है। योजना पूरी होने के उपरान्त अंकेक्षण के आधार पर पूर्ण समायोजन किया जा सकेगा।

दोषी पर कार्रवाई

रा–15. श्री राज कुमार राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अंचल के मौजा मरवात किया के तौजी नं0 4637 में जमाबन्दी नं0 107 का सृजन आमद जमाबन्दी संख्या 34 भिन्न खाते, खेसरे से की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि आमद जमाबन्दी सं0 34 को ओभर राइटिंग कर पूर्णरूपेण काटकर जमाबन्दी सं0 107 का सृजन किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि जमाबन्दी सं0 107 बिना भौतिक दखल के ही दर्ज कर दिया गया तथा दाखिल–खारिज केस सं0 932/2001–02 की संचिका अंचल कार्यालय से गायब की दी गई है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आमद जमाबन्दी सं0 34 से भिन्न जमाबन्दी सं0 107 को रद्द कर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है। समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक 215 (प्र0)/रा0, दिनांक 26 जुलाई, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मक्खातकिया थाना नं0 43, जमाबन्दी नं0 34 से आमद जमाबन्दी नं0 107 के खाता 127, खेसरा 442, रकबा 14 धूर 10 धूरकी को मूल जमाबन्दी में कटिंग कब किया गया है यह पता नहीं चलता है, लेकिन कटिंग के बाद भी खाता, खेसरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जमाबन्दी सं0 34 में अंकित खाता, खेसरा, रकबा सही है, जिससे जमाबन्दी संख्या 107 का सृजन किया गया है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है। आमद जमाबन्दी सं0 34 का ओवर राइटिंग नहीं बल्कि कटिंग किया गया है और जमाबन्दी 34 से खारिज कर जमाबन्दी 107 सृजन किया गया है।

(3) अस्वीकारात्मक । संदर्भित मामला दाखिल–खारिज केस सं0 932/2001–02 से संबंधित न होकर 932/2000–01 से संबंधित है। जमाबन्दी का सृजन भौतिक दखल के आधार पर ही होता है। उस समय 2000–01 में जमाबन्दी रैयत राशि भूषण सिंह पिता उदय नारायण सिंह सा0 पकड़ा का दखल था। दाखिल–खारिज केस सं0 932/2000–01 की संचिका कार्यालय में उपलब्ध है और कार्यालय में संधारित दाखिल–खारिज पंजी में उक्त वाद संख्या एवं तिथि अंकित है।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट है। अतः कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश का अनुपालन

रा–3. श्री रामप्रवेश राय—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 161 (4), दिनांक 26 अप्रैल, 2012 द्वारा बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों को अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों का समायोजन राजस्व कर्मचारी के पद पर करने का आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा अभीतक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विभागीय आदेश का अनुपालन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा विभागीय पत्रांक 181 (4), दिनांक 26 अप्रैल, 2012 द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन हेतु कुछ बिन्दुओं पर दिशा–निदेश की माँग की गई थी जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक 148 (4)/रा0, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 एवं 323 (4)/रा0, दिनांक 24 जुलाई, 2013 द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उक्त कर्मियों के समायोजन हेतु स्पष्ट निदेश संसूचित कर दिया गया है।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा इस संबंध में सूचित किया गया है कि विभागीय पत्रांक 181 (4)/रा0, दिनांक 26 अप्रैल, 2012 के निदेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को राजस्व कर्मचारी के पद पर समायोजन/नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(3) उपर्युक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

मानदेय का भुगतान

प्रश्न–4. श्री राम नरेश प्रसाद यादव—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंडान्तर्गत 20 (बीस) पंचायतों में वर्ष 2007–08 में 63 मुख प्रगणक से पशुगणना कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनबरसा प्रखंड के पशु प्रगणक के लिये 20 अप्रैल, 2011 को विभाग द्वारा 522170.50 रु0 प्रखंड को उपलब्ध कराई गई थी ;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला नजारत के बेतार संवाद संख्या 581, दिनांक 13 मई, 2011 एवं पत्रांक 583, दिनांक 14 मई, 2011 के माध्यम से राशि शीघ्र लौटाने का आदेश दिया गया था एवं इसके चलते सोनबरसा से 23 जून, 2011 को सम्पूर्ण राशि लौटा दी गई और पशु प्रगणक को मानदेय का भुगतान नहीं हो सका ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंडान्तर्गत पशुगणकों को अविलम्ब मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वस्तुस्थिति यह है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 133, दिनांक 12 मार्च, 2011 द्वारा जिला पदाधिकारी को सूचित किया गया कि बजट शीर्ष–3454 जनगणना तथा सांख्यिकी, केन्द्र प्रायोजित योजना 01 जनगणना 001 निदेशन तथा प्रशासन 06–02 पशुगणना मद में 5280960.00 रु0 का आवंटन प्राप्त है। अतएव प्रगणकों, पर्यवेक्षकों, टेबुलेटरों आदि को भुगतान हेतु उनके द्वारा समर्पित विवरण के अनुसार प्रखण्डों को राशि भेजी जाये ताकि संबंधित कर्मियों को मानदेय का भुगतान किया जा सके। पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कुल 67,85,733.25 रु0 बैंक द्वारा इस जिले के कुल 17 प्रखण्डों को उपलब्ध कराई गई। इसके पश्चात् आवंटन की जाँच करने पर पता चला कि उक्त आवंटन जिला नजारत को उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप प्रखण्डों को उपलब्ध कराई गई राशि का व्यय न कर राशि जिला नजारत को वापस करने हेतु जिला नजारत प्रशाखा, सीतामढ़ी द्वारा बेतार संवाद संख्या 581, दिनांक 13 जुलाई, 2011, 583, दिनांक 14 जुलाई, 2011 एवं 612, दिनांक 1 अगस्त, 2011 निर्गत किया गया है। इसी क्रम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उपावंटित राशि जिला नजारत को वापस कर दी गयी।

(4) जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रेषित आंकड़ों के अनुसार इस जिला के 17 प्रखण्डों के प्रगणक 909, पर्यवेक्षक 95 तथा 21 टेबुलेटरों के लिये 67,85,733.25 (सड़सठ लाख पचासी हजार सात सौ तैंतीस रु0 पचीस पैसे) की आवश्यकता है। एतद्संबंधी राशि की माँग विभाग से करने हेतु जिला

पदाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है। विभाग को माँग प्राप्त होने पर मानदेय हेतु राशि विमुक्त कर दी जायेगी।

बैंक नोटिस का औचित्य

ट–10. **श्री सुरेश चंचल**—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड अन्तर्गत फिरोजपुर ग्राम स्थित अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 1985 एवं 1987 में कृषि कार्य हेतु बिना सूद/ब्याज के पम्प सेट दिया गया था,

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के निर्णयानुसार वर्ष 2007 में किसानों द्वारा कृषि कार्य हेतु पूर्व में लिये गये 50,000 रु० तक के ऋण को माफ किया जा चुका है, जबकि पम्प सेट प्राप्त करने वाले उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति के किसानों को भूमि विकास बैंक, बखरी (सकरा) द्वारा ऋण अदायगी हेतु मई, 2013 में नोटिस निर्गत किया गया है, यदि हाँ, तो ऋण माफ किये जाने के बावजूद बैंक द्वारा नोटिस का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री––(1) भूमि विकास बैंक के संदर्भ में अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सकरा प्रखंड के फिरोजपुर ग्राम के अनुसूचित जाति के किसानों को वर्ष 1985 एवं 1987 में कृषि कार्य हेतु भूमि विकास बैंक ने नाबार्ड के नियमानुसार सभी जाति के किसानों को सूद/ब्याज पर ही पम्प सेट मुहैया कराई है।

(2) आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार ने 31 मार्च, 1997 के बाद और 31 मार्च, 2007 के बीच दिये गये कृषि ऋण राशि मो० 50,000 रु० के अन्दर को ही माफ किया है। फिरोज ग्राम के किसानों को वर्ष 1985 एवं 1987 के बीच का जो प्रश्नगत लोन दिया गया है वो ऋण माफी के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उसकी वसूली के लिये नोटिस या अन्य कार्रवाई करना युक्तिसंगत है।

भारत सरकार के नियमानुसार 31 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2007 के बीच की माफी का निरीक्षण नाबार्ड के पदाधिकारियों द्वारा कराने के पश्चात् ही माफी की राशि बैंक मुख्यालय को दी जाती है।

अतः 31 मार्च, 1997 के पूर्व बैंक द्वारा दिये गये लोन की राशि की वसूली कार्य चल रहा है जिसके अन्तर्गत ऋण अदायगी करने हेतु प्रखंड सकरा के अन्य गाँवों के अलावे फिरोजपुर ग्राम के ऋणी सदस्यों को भी नोटिस दी गयी है। शाखा मुख्यालय, पटना के निर्देशानुसार कार्य करती है। इस संबंध में पूछ–ताछ मुख्यालय, पटना से भी किया जा सकता है।

राशि मुहैया कराना

सह–3. **श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह**––क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 एवं 2010–11 में 98 पैक्सों में गैसीफायर के साथ मिनी राइस मिल स्थापित करने हेतु 1264.00 लाख रुपये विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है परन्तु प० चम्पारण के पीरा सोम पैक्स सहित 70 प्रतिशत पैक्सों में उक्त योजना अधूरी पड़ी है, क्योंकि पैक्सों को सहकारी बैंकों द्वारा उक्त योजना के लिये निर्धारित 50 प्रतिशत ऋण की राशि मुहैया नहीं कराये जाने के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधूरी योजनाओं की बाधाओं को दूर करते हुये अविलंब इसे पूरा कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में 40 एवं वर्ष 2010–11 में 58 समितियों में अर्थात कुल 98 समितियों में विभाग द्वारा चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि समिति को स्वयं अपने संसाधनों से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर वहन करेंगे। सरकार द्वारा चावल–मिल–सह गैसीफायर स्थापित करने हेतु समितियों के चयन के पूर्व उनसे इस आशय पर सहमति भी ली गई है कि कुल लागत का 50 प्रतिशत राशि उनके द्वारा वहन किया जायेगा। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 के लिये स्वीकृत योजना अन्तर्गत प्रति इकाई कुल लागत

क्रमशः 24.00 लाख एवं 26.00 लाख रुपये निर्धारित किया गया था जिसमें जमीन के मद में 2.40 लाख रुपये तक का व्यय कर्णांकित था।

उपरोक्त के आलोक में अबतक (दिनांक 25 जुलाई, 2013) कुल 98 पैक्सों में से 48 पैक्सों में निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। 28 पैक्सों में निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष 21 पैक्सों में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना है।

जहाँतक पीपरा खेम पैक्स, पूर्वी चम्पारण में उक्त योजना के कार्यान्वयन का बिन्दु है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पिपरा खेम पैक्स की योजना 2008–09 में स्वीकृत की गई थी एवं उक्त पैक्स की प्रबंधकारिणी द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हुये कि योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय समिति द्वारा वहन किया जायेगा तथा जमीन भी समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त योजना की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया गया था। तत्पश्चात् पीपरा खेम पैक्स के लिये योजना की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु पीपरा खेम पैक्स द्वारा योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि अपने संसाधन से उपलब्ध नहीं कराया गया एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक, मोतिहारी में ऋण हेतु आवेदन किया गया। साथ ही समिति द्वारा अपने संसाधन से जमीन मद में 2.40 लाख रुपये का व्यय किया गया। उपर्युक्त स्थिति में बैंक द्वारा योजना की शेष 50 प्रतिशत राशि यथा 12.00 लाख रुपये में से जमीन हेतु कर्णांकित व्यय 2.40 लाख रुपये को घटाते हुये शेष 9.60 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत एवं उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में योजना के कार्यान्वयन की स्थिति यह है कि जेनरेटर का क्रय किया जा चुका है एवं गोदाम निर्माण कार्य छत-लेवल तक पूरा हो चुका है। साथ ही पैलीफायर एवं चावल मिल की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्त्ता को अग्रिम का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार अपेक्षित ऋण उपलब्ध नहीं कराने की बात सही नहीं है।

पदों को भरना

स–7. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार राजस्व जिला में अंचल निरीक्षक का स्वीकृत पद 16 के विरुद्ध मात्र 1 अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारी का स्वीकृत पद 238 के विरुद्ध मात्र 87 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है, यदि हाँ, तो उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला में अंचल निरीक्षक के 17 स्वीकृत बल है, जिसके विरुद्ध 1 अंचल निरीक्षक पदस्थापित है। राजस्व कर्मचारी के कुल 236 पद स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 98 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं।

अंचल निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 393 पदों की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को विभागीय पत्रांक 567 (4), दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 एवं 481 (4), दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा भेजी गयी है।

राजस्व कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 3902 पदों की अधियाचना विभागीय पत्रांक 454 (4), दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 एवं 183 (4), दिनांक 18 अप्रैल, 2013 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है।

उक्त अधियाचित कर्मियों के नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त होने के पश्चात् रिक्त पदों पर पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

मूल्य दिलाना

स–14. श्रीमती (डॉ0) उषा विद्यार्थी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा प्रखण्डान्तर्गत ग्राम–अमहारा में बियाडा द्वारा अधिग्रहित जमीन की उचित मूल्य भुगतान हेतु विभागीय सचिव द्वारा पत्रांक 923, दिनांक 18 मई, 2010 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुपालन में आजतक संबंधित किसानों को जमीन का मूल्य नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार संकल्प के आलोक में किसानों को जमीन का मूल्य दिलाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, पटना के प्रतिवेदनानुसार बिहार, भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007 के अन्तर्गत राजस्व विभागीय संकल्प सं0 923, दिनांक 18 मई, 2010 एवं

संकल्प सं0 2625, दिनांक 7 नवम्बर, 2012 के अनुपालन में प्राक्कलन प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है तथा प्राक्कलन स्वीकृति के पश्चात् किसानों को शेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मौजा अमहारा में अबतक कुल चार चरणों में भू–अर्जन / अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में अर्जित भूमि के हित सम्बद्ध रैयतों को 80 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप दर का निर्धारण कर किया गया है। उक्त संकल्प के आलोक में मौजा अमहारा, थाना नं0 44 में रकबा 1.87 एकड़ का प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है।

अवशेष 20 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान 60 दिनों के अंदर करने का निदेश राजस्व विभागीय पत्रांक 1913, दिनांक 26 जुलाई, 2013 द्वारा समाहर्त्ता, पटना को दिया गया है।

उचित मूल्य दिलाना

ट–3. **डॉ0 अच्युतानन्द**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि प्रधान राज्य में कृषि लाभकारी नहीं होने के कारण राज्य की युवा पीढ़ी कृषि से विमुख हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि के विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होते हैं और इससे किसानों को कृषि में घाटा होता है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिये संरक्षण एवं बिचौलियों से मुक्ति हेतु क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—(1) यह बात सही है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। राज्य में कृषि को लाभकारी बनाने के लिये सरकार कृषि रोड मैप लागू कर रही है। जहाँतक युवा पीढ़ी के कृषि से विमुख होने का संबंध है तो इस संबंध में कोई प्रमाणिक प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 प्रभावी होने के फलस्वरूप बिहार कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1960 एवं उसके अन्तर्गत बनाई गई बिहार कृषि उपज बाजार नियमावली, 1975 तत्काल प्रभाव से निरसित हो गई है। इस अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप ऐसी सभी चल एवं अचल आस्तियाँ जो पर्षद् अथवा बाजार समिति की है या उनके अधिकार में है या जिनपर उनका दावा है, राज्य सरकार में निहित हो गई है। साथ ही पर्षद् एवं बाजार समिति की सभी देयतायें जिनमें वैधिक एवं गैर–वैधिक अथवा जमानती एवं गैर–जमानती देयतायें शामिल है, राज्य सरकार में निहित हो गई है तथा निरसन अधिनियम, 2006 दिनांक 1 सितम्बर, 2006 से प्रभावी होने के फलस्वरूप बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियाँ विघटित है तथा निर्मित बाजार प्रांगण को सरकारी निःशुल्क बाजार घोषित किया गया है।

कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या 2997, दिनांक 16 मई, 2011 के द्वारा बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 की धारा 4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य में कृषि तथा किसानों से संबंधित कार्यों के लिये पर्षद् एवं बाजार समितियों के बाजार प्रांगण उपयोग के संबंध में भी नीति निर्धारित की गई है।

कृषि विभाग के अधिसूचना संख्या 2486, दिनांक 7 मई, 2012 के द्वारा कृषि रोडमैप कार्यक्रम में आलोक में राज्य में आधुनिक कृषि बाजार की स्थापना के लिये निजी, सहकारी, संयुक्त तथा सरकारी बाजारों को बढ़ावा दिया जायेगा। एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अन्तर्गत निजी उद्यमी द्वारा स्वयं के जमीन पर नालंदा एवं मुजफ्फरपुर इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन अन्तर्गत 11 अत्याधुनिक कृषि बाजार की स्थापना के उद्देश्य से दो इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन विकसित किये जायेंगे, जिसमें एक इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन में मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय जिले शामिल होंगे तथा दूसरे इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन में नालंदा, पटना, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले शामिल होंगे। उक्त इंटिग्रेटेड वैल्यु चेन में पैक हाउस, फ्रुट पलिंग युनिट, कोल्ड चेन, ट्रेडिंग प्लेटफार्म, वेयर हाउस, आलू शीत भण्डार, प्याज भण्डार, राइपेनिंग चेम्बर, दूकान आदि आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी । साथ ही उक्त बाजार के लिये सहयोगी एवं अन्य संरचनाओं तथा सेवाओं का भी विकास किया जायेगा। आधुनिक बाजार की स्थापना के फलस्वरूप किसानों के आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

कृषि रोडमैप 2012–17 में कृषि विपणन व्यवस्था हेतु कई कार्यक्रम प्रस्तावित है जो निम्न प्रकार है :—

i. कृषि उत्पाद बाजार के ढांचागत सुधार के फलस्वरूप राज्य में सरकारी, सहकारी, निजी एवं संयुक्त क्षेत्र में बाजारों का विकास किया जायेगा।

ii. कृषि उत्पादन के प्रकृति के अनुसार आधुनिक बाजार का विकास किया जायेगा। बाजार समितियों के बाजार प्रांगण के लिये सरकार द्वारा निर्धारित नीति के आलोक में सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को गोदाम निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध कराया जायेगा।

iii. फल, सब्जी जैसे सडनशील कृषि उत्पादों के विपणन के लिये किसानों को संगठित किया जायेगा। एक लाख कृषि उत्पाद आधारित समूहों को गठन किया जायेगा।

iv. फल एवं सब्जी के विपणन व्यवस्था को आधुनिक तरीके से विकसित करने के लिये वैल्यु चेन को विकसित किया जायेगा।

v. विभिन्न स्तरों पर आधुनिक बाजार का विकास किया जायेगा। ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण हाट को आधुनिक बनाया जायेगा।

vi. निजी उद्यमियों को आधुनिक कृषि बाजार की स्थापना के लिये सहायता प्रदान की जायेगी। कृषि बाजार को व्यवस्थित तथा विकसित करने के लिये कृषि विभाग में कृषि विपणन के लिये विभिन्न स्तरों पर पूर्णकालिक पदाधिकारियों के पद सृजित किये जायेंगे।

———

कब्जा दिलाना

रा–11. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, राजस्व एवंभूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत सन् 1990 से 2013 तक भूमिहिनों के बीच जिला प्रशासन ने 35 हजार परिवारों के बीच वासगीत का पर्चा वितरीत किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला प्रशासन द्वारा वितरित वासगीत के पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिसके कारण पीड़ित परिवार सड़कों के किनारे गुजर–बसर कर रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विस्थापितों के मिले वासगीत के पर्चे वाली जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प० चम्पारण जिला के अन्तर्गत कुल 38975 भूमिहीन परिवारों के बीच वासभूमि का पर्चा वितरित किया गया है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है। जिला प्रशासन के संज्ञान में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है।

(3) पर्चाधारियों से शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

———

बि०स०मु० (एल०ए०)–139 डी०टी०पी० 400